उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरलीकरण समिति, 1977

का

अन्तिम प्रतिवेदन

---

28 नवम्बर, 1977

[मु]द्रक :
[अधीक्षक], मुद्रण तथा लेखन सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत ।
1978

श्रीमती शकुन्तला नायर,

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली की जटिलताओं को देखते हुए शासन ने एक समिति गठित की जिसका कार्य इस प्रणाली को सरल बनाने के लिए सुझाव देना था। समिति में साधारण जनता के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त व्यापारिवर्ग के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। साथ ही, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि को भी समिति में रखा गया था।

2--मुझे यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सभी सदस्यों ने समिति के कार्य में अभूतपूर्व योगदान दिया और यही कारण है कि समिति की सभी संस्तुतियां, जिनकी संख्या 100 से अधिक है, सर्व-सम्मति से की गई हैं। समिति के सदस्यों के अथक परिश्रम के परिणाम-स्वरूप ही यह रिपोर्ट तीन माह के अंदर तैयार हो सकी है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर समिति ने अपने सुझाव तीन सप्ताह में ही अन्तरिम प्रतिवेदन के रूप में शासन को प्रस्तुत कर दिए थे। आज इस सम्पूर्ण प्रतिवेदन को शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं उन सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने समय की आवश्यकताओं को समझते हुए समिति के कार्य को पूरा करने के लिए अपना समय और अनुभव दोनों ही उदारता-पूर्वक दिए हैं। उन अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी मुझे आभार व्यक्त करना है जिन्होंने समिति के सदस्य न होते हुए भी विभिन्न पहलुओं पर विधि एवं नियम सम्बन्धी वर्तमान स्थिति से समिति को अवगत कराने के लिए भरसक प्रयास किया है। सचिवालय के बिक्री-कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस रिपोर्ट को समय से तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

3--मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट शासन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय यह ध्यान में रखा गया है कि राजस्व प्राप्तियों में किसी प्रकार की कमी न हो और व्यापारिवर्ग को अपना कर अदा करने में कम से कम कठिनाई हो। मुझे आशा है कि शासन स्तर पर इस रिपोर्ट पर शीघ्र विचार करके इसमें की गई संस्तुतियों को अविलम्ब कार्यान्वित करने के लिए उचित कदम उठाए जायेंगे।

शकुन्तला नायर।

विषय-सूची

पृष्ठ

1--प्रस्तावना 1

संस्तुतियां

भाग "क"– विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित

2--न्यूनतम कर-योग्य विक्रय-धन सीमा एवं व्यापारियों का पंजीकरण .. 2
3--विवरण पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं कर का भुगतान .. 3
4--विभिन्न प्रपत्रों की पूर्ति एवं प्रस्तुतीकरण 4
5--लेखों का अस्वीकरण तथा श्रेष्ठतम विवेक से कर निर्धारण .. 5
6--अस्थायी कर-निर्धारण 7
7--विक्रय-धन में कुछ मदों का सम्मिलित न किया जाना .. 7
8--माल वापसी का लाभ 7
9--निस्तारित वादों का पुनः खोलना 8
10--कालबाधित होने की समयावधि 8
11--विभिन्न प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण 8
12--अर्थदण्ड 8
13--बकाया वसूली 9
14--स्थगन तथा किस्तें 10
15--अपील 10
16--पुनरीक्षण 11
17--न्यायाधिकरण 12
18--सर्वेक्षण 12
19--व्यापारियों का प्रतिनिधित्व 13
20--शुल्क 13
21--रिफंड 13
22--चेकपोस्ट 14
23--विशेष अनुसंधान शाखा 16
24--भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न पर रोक 16
25--कार्यालय भवन तथा आवास गृह 17

भाग "ख"–कर की दरों से संबंधित

26--बिक्री-कर की दरें 17
27--कतिपय बिक्रियों पर कर की विशेष दरें 20
28--कतिपय संव्यवहारों पर क्रय-कर 21
29--अधिनियम, नियम तथा दरों के परिवर्तनों का प्रचार 21
30--उद्योगों को राहत 22
31--लाइसेन्स प्रणाली 24
32--परिशिष्ट 26

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरलीकरण समिति, 1977

का

प्रतिवेदन

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर वर्ष 1948 में लागू किया गया था। विगत वर्षों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर विधि में परिवर्तन किये जाते रहे हैं। इन सब परिवर्तनों के फलस्वरूप विधि में जटिलताएं उत्पन्न हो गईं और राज्य के व्यापार एवं उद्योग की ओर से बार-बार विधि एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग की जाने लगी ताकि व्यापारियों की कठिनाइयां दूर हो सकें तथा प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार की प्रगति में अवरोध समाप्त हो। उत्तर प्रदेश शासन में विधि के सरलीकरण की आवश्यकता को अनुभव करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या एस0 टी0 दो-6234/दस-77, दिनांक 3 सितम्बर, 1977 तथा संख्या एस0 टी0 दो-6500/दस-9 (158)/77, दिनांक 14 सितम्बर, 1977 द्वारा यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या एस0 टी0-दो0--5906/दस-9 (158)/77, दिनांक 29 अगस्त, 1977 (परिशिष्ट-1) द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरलीकरण समिति, 1977 का गठन किया। समिति की सदस्यता निम्न प्रकार थी:--

1--श्रीमती शकुन्तला नायर, संस्थागत वित्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2--श्री मनोहर सुब्रह्मण्यम, आयुक्त एवं सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
3--श्री नीतीन मंगलदास मजमुदार, आयुक्त एवं सचिव (वित्त आयोग) एवं मुख्य मंत्री जी के सचिव।	तदेव
4--श्री एस0 वेंकटरमानी, आयुक्त, बिक्री-कर, उत्तर प्रदेश	तदेव
5--श्री राजकुमार सामा, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश	तदेव
6--श्री रेवती रमण रस्तोगी, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश	तदेव
7--श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश	तदेव
8--श्री गंगा राम गुप्ता, एडवोकेट, इलाहाबाद	तदेव
9--श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल, एडवोकेट, कानपुर	तदेव
10--श्री बी0 के0 दास, मेरठ	तदेव
11--श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, लखनऊ	तदेव
12--श्री जगत बिहारी लाल गुप्ता, लखनऊ	तदेव
13--श्री बद्री प्रसाद अवस्थी, लखनऊ	तदेव
14--श्री राम प्रकाश कपूर, वाराणसी	तदेव
15--श्री राजकुमार खन्ना, मेरठ	तदेव
16--यू0 पी0 चैम्बर आफ कामर्स, कानपुर का एक प्रतिनिधि	तदेव
17--श्री अरविन्द वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश,	सदस्य सचिव

2--यू0 पी0 चैम्बर आफ कामर्स, कानपुर ने अपना कोई प्रतिनिधि समिति में नामांकित नहीं किया। श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल तथा श्री राम प्रकाश कपूर ने नवम्बर, 1977 में समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

3-- समिति से राज्य की राजस्व की आवश्यकताओं एवं करापवंचन रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधि एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में अपनी संस्तुतियां 30 सितम्बर, 1977 तक शासन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। बाद में समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर, 1977 तक बढ़ा दिया गया था।

4- - बिक्री-कर से प्रभावित विभिन्न वर्गों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से समिति ने 8 सितम्बर, 1977 को हुई अपनी पहली बैठक में समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित करके जनता के सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय किया। इसके फलस्वरूप समिति को 500 से अधिक प्रत्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें विभिन्न वर्गों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। परिशिष्ट 2 में उन व्यापार संघों/व्यक्तियों के नाम अंकित हैं जिन्होंने समिति को अपने सुझाव भेजे।

5---समिति ने इन सुझावों को संकलित कराकर उन पर 19 सितम्बर से 23 सितम्बर, 1977 तक तथा 27 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1977 तक हुई बैठकों में विचार किया और एक अन्तरिम प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया। समिति ने अनेक व्यक्तियों/संघों का, जिनके नाम परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं, मौखिक साक्ष्य भी लिया। समिति ने लिखित रूप में प्राप्त अन्य सुझावों तथा मौखिक साक्ष्य के दौरान दिए गए सुझावों पर 11 से 15 अक्तूबर, 1977, 31 अक्तूबर तथा 1 व 2 नवम्बर, 1977 तथा 16 नवम्बर, 1977 की बैठकों में विस्तारपूर्वक विचार किया तथा लगभग सभी प्रश्नों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए। दिनांक 28 नवम्बर, 1977 की बैठक में समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया। विभिन्न विषयों पर समिति की संस्तुतियां आगे वर्णित की जा रही हैं। अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियां भी इस प्रतिवेदन में यथास्थान सम्मिलित कर ली गई हैं।

6---रिपोर्ट को पूर्णरूप से व्यावहारिक बनाया गया है। इसको तैयार करने में बिक्री-कर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तथा सचिवालय के वित्त (बिक्री-कर) विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जो योगदान प्राप्त हुआ है उसके प्रति समिति के सभी सदस्य अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं।

संस्तुतियां

भाग "क"-विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित

7---<u>न्यूनतम कर-योग्य विक्रय-धन सीमा एवं व्यापारियों का पंजीकरण</u>---बिक्री-कर अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, कतिपय अपवादों को छोड़ कर, व्यापारियों के लिए न्यूनतम कर-योग्य विक्रय-धन की सीमा 25,000 रुपए है। पंजीकरण के लिए भी यही न्यूनतम सीमा है। समिति ने यह अनुभव किया कि वर्तमान मूल्यों को देखते हुए यह सीमा बहुत ही कम है और इससे छोटे-छोटे व्यापारी भी बिक्रीकर की परिधि में आ जाते हैं। ये व्यापारी अधिकतर कम पढ़े लिखे होते हैं और न तो स्वयं ठीक से हिसाब किताब रख सकते हैं और न उनमें इतनी क्षमता होती है कि वे मुनीम आदि रखकर हिसाब-किताब रख सकें। फलतः उन्हें विधि के विभिन्न प्राविधानों के अनुपालन में कठिनाई होती है, जिसके अभाव में कर-निर्धारक अधिकारी उन पर स्वविवेक से कर निर्धारित करते हैं। इससे व्यापारी वर्ग में असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। इन सभी दृष्टिकोणों से विचार करके समिति ने यह संस्तुति की कि न्यूनतम कर-योग्य विक्रय-धन की सीमा बढ़ा कर 50,000 रुपए कर दी जाय। समिति का विचार था कि राज्य में पूर्णतया एक-सूत्री कर प्रणाली लागू हो जाने के बाद इस सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप कोई राजस्व हानि न होगी। समिति ने यह भी संस्तुति की कि, कतिपय अन्य राज्यों की भांति, पंजीकरण के लिए न्यूनतम सीमा 30,000 रुपए ही रखी जाय।

8---समिति ने व्यापारियों की इस कठिनाई पर विचार किया कि पंजीकरण कराने के पूर्व कर-निर्धारक अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से प्रायः अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति मांगी जाती है जिसे हर मामले में देना उनके लिए संभव नहीं होता। इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी होती है। समिति ने यह मत अपनाया कि यदि दो अन्य पंजीयित व्यापारियों (जो बिक्री-कर विभाग में 3 या अधिक वर्षों से पंजीयित हों) की व्यक्तिगत प्रतिभूति दी जाती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे व्यापारी की आर्थिक स्थिति उसके द्वारा पिछले वर्ष जमा किए गए बिक्री-कर या आयकर की राशि अथवा आय कर निर्धारण आदेश के आधार पर आंकी जा सकती है। उनकी अचल सम्पत्ति का मूल्य लगान या गृह कर की राशि के आधार पर लगाया जा सकता है अथवा सम्पत्ति के मूल्य निर्धारक द्वारा आकलित कराया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने कहा कि जिन मामलों में नकद राशि प्रतिभूति के रूप में ली जाती है उसे वापिस नहीं किया जाता। विधिक प्राविधानों पर विचार करके समिति ने यह मत स्थिर किया कि यदि ऐसे व्यापारी का रिकार्ड तथा इतिहास ठीक रहे तो ली गई जमानत भविष्य में देय कर के प्रति समायोजित या रिफंड की जानी चाहिए।

9---समिति ने पंजीकरण के प्रार्थना-पत्र पर फर्म के स्वामी या साझीदारों के फोटोग्राफ लगाए जाने की व्यवस्था करने की संभावना पर भी विचार किया। समिति को बताया गया कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम या नियमों में अभी तक ऐसा कोई प्राविधान नहीं है किन्तु महाराष्ट्र, काश्मीर तथा कुछ अन्य प्रदेशों में वसूली के संबंध में सही बकायादारों को ढूंढ़ने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है और बिना कठिनाई के प्रभावी है। सदस्यों ने कहा कि कभी-कभी फर्म के स्वामी या साझेदार पर्दानशीन महिलाएं होती हैं अथवा साझेदार बाहर रहते हैं जिससे उनके फोटो प्रस्तुत किये जाने में व्यावहारिक कठिनाई होगी। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत स्थिर किया कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम में पंजीकरण हेतु फोटोग्राफ की व्यवस्था न की जाय।

10---समिति का मत था कि पंजीयन प्रमाण-पत्र मजबूत कागज पर दिया जाना चाहिए ताकि उसे ठीक से रखा जा सके। समिति ने इसी पृष्ठभूमि में संस्तुति की कि रेडियो लाइसेन्स की भांति पंजीयन प्रमाण-पत्र भी पासबुक के रूप में जारी किया जाय। कुछ सदस्यों ने कहा कि यद्यपि व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने के 30 दिन के अन्दर पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिया जाता है फिर भी पंजीयन प्रमाण-पत्र उन्हें व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से नहीं, बल्कि उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से दिया जाता है। समिति के समक्ष यह विधिक स्थिति स्पष्ट की गई कि बिक्री कर नियमावली के नियम 54 (3) के अन्तर्गत व्यापारी को व्यापार प्रारम्भ करने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है और यदि वह इस अवधि के अन्दर विधिवत् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देता है तो उसे जारी किया गया पंजीयन प्रमाण-पत्र व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से ही प्रभावी होगा। समिति ने यह अनुभव किया कि इस संबंध में होने वाली कठिनाई का वास्तविक कारण कुछ अधिकारियों द्वारा इस प्राविधान की अज्ञानता अथवा इस का उल्लंघन है। अतः समिति ने संस्तुति की कि प्रशासनिक आदेश जारी करके उपरोक्त विधिक स्थिति अधिकारियों को स्पष्ट कर दी जाये।

11---<u>विवरण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं कर का भुगतान</u>---बिक्री-कर अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत वे व्यापारी, जिनका कुल वार्षिक विक्रय धन 2,00,000 रुपए से कम है, देय कर तथा रूप-पत्र त्रैमासिक जमा करते हैं, तथा ऐसे व्यापारी जिनका विक्रय धन 2,00,000 रुपए से अधिक है, देय कर प्रतिमाह जमा करते हैं किन्तु रूप-पत्र स्वेच्छानुसार मासिक या त्रैमासिक देते हैं। छोटे व्यापारियों को, जिनका वार्षिक कर-दायित्व 500 रुपये से अनधिक है, बिक्री-कर त्रैमासिक या वार्षिक देने की सुविधा प्रदान की गई है। समिति का विचार था कि अधिकांश सौदे उधार होते हैं जिनमें बिक्री-कर क्रेता से तुरन्त नहीं मिलता है, अतः मासिक कर जमा कराना

न्यायसंगत नहीं। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने संस्तुति की कि सभी व्यापारियों के लिए कर-निर्धारण वर्ष में अप्रैल से दिसम्बर तक के रूपपत्र तथा देय कर त्रैमासिक आधार पर, जनवरी व फरवरी का 20 मार्च तक तथा मार्च का अप्रैल में दिए जाने की व्यवस्था की जाये। इससे बिक्री-कर राजस्व की वार्षिक प्राप्तियों में कमी नहीं होगी और व्यापारियों की कठिनाई भी कम होगी। समिति ने यह भी संस्तुति की कि 500 रुपए तक वार्षिक कर-दायित्व वाले छोटे व्यापारियों को दी गई वर्तमान सुविधा बनाये रखी जाये।

12—कर व अन्य देयों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने की सुविधा देने का सुझाव समिति ने विचार-विमर्श के पश्चात् अव्यावहारिक पाया। तथापि समिति ने यह संस्तुति की कि यह सुविधा स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में होनी चाहिए। अभी तक यह सुविधा स्टेट बैंक की केवल मुख्य शाखा तथा बड़े शहरों में स्थित उनकी कुछ अन्य शाखाओं में ही है, जो अपर्याप्त है। समिति ने यह भी संस्तुति की कि व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत चैक/ड्राफ्ट बैंक की स्थानीय शाखा (जहां स्टेट बैंक के माध्यम से उनके भुगतान की भी व्यवस्था है) के होने चाहिए और ऐसी स्थिति में उन्हें माह की अन्तिम तिथि तक (मार्च में 20 तारीख तक) स्वीकार किया जाना चाहिए।

13—समिति के समक्ष यह सुझाव भी विचारार्थ आया कि ट्रेजरी चालान की चार प्रतियां होनी चाहिए। समिति की जानकारी में यह बात लाई गई कि इस मांग पर शासन द्वारा पहले विचार किया गया था किन्तु महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका था। समिति का विचार था कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यापारी के पास चालान की एक प्रति रहे ताकि समय पड़ने पर वह इसे भुगतान के प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत कर सके। समिति को जानकारी दी गई है कि दिल्ली राज्य में ऐसी व्यवस्था पहले से ही है। अतः समिति ने संस्तुति की कि इस राज्य में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू की जाये।

14—सदस्यों ने इस सुझाव पर भी विचार किया कि स्वीकृत कर विधि में निर्धारित तिथि के काफी पूर्व जमा कर दिए जाने पर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ रिबेट देना चाहिए। समिति ने सैद्धान्तिक रूप से व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह संस्तुति की कि शासन इससे सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर आयुक्त बिक्री-कर से परामर्श करके व्यवस्था निर्धारित करे।

15—<u>विभिन्न प्रपत्रों की पूर्ति एवं प्रस्तुतीकरण</u>:—सदस्यों ने मत प्रकट किया कि बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों की संख्या अब बहुत अधिक हो गई है जिससे व्यापारियों को कठिनाई हो रही है। समिति को सूचित किया गया कि विभाग द्वारा इन प्रपत्रों को कम करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। समिति ने प्रपत्रों को कम करने के इस सुझाव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया तथा इन्हें कम करने के साथ-साथ इनका सरलीकरण करने की भी संस्तुति की।

16—समिति ने व्यापारियों को बिक्री-कर कार्यालय से आवश्यकतानुसार फार्म प्राप्त न होने की समस्या पर भी विचार किया। समिति ने संस्तुति की कि पूर्व वर्षों की खपत को ध्यान में रख कर व्यापारी को सामान्यतः एक बार में 3 माह की आवश्यकता पूर्ति के लिये फार्म जारी किये जाने चाहिये। विभिन्न फार्मों की पूर्ति के सम्बन्ध में बिक्री-कर कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर समिति ने बहुत चिन्ता व्यक्त की और यह संस्तुति की कि फार्म को तत्काल और सुगमता से दिया जाना चाहिये। यदि किसी व्यापारी के विरुद्ध बकाया हो या अन्य कोई कारण ऐसा हो जिसके आधार पर उसे फार्म उपलब्ध कराने से पहले जांच आवश्यक हो तो इसके लिये कुछ समय (जो किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक न होना चाहिये) ले लिया जाये परन्तु अन्य मामलों में व्यापारियों को फार्म देने में विलम्ब होने का कोई औचित्य नहीं है।

जांच की कार्यवाही अविलम्ब होनी चाहिये और फार्म 1–2 घंटों में जारी कर दिये जाने चाहिये। यदि प्रार्थना-पत्र 11.00 बजे पूर्वान्ह तक प्राप्त होता है तो फार्म उसी दिन 1.30 बजे अपरान्ह तक जारी कर दिये जाने चाहियें।

17—बिक्री-कर नियमावली की वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत व्यापारियों को विभिन्न प्रपत्र, कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष, उस प्रथम दिनांक तक प्रस्तुत करने होते हैं जब उनसे संबंधित कर-निर्धारण वर्ष के लिये अन्तिम कर-निर्धारण के निमित्त अपने लेखे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो। साधारणतः कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के 2–3 वर्षों के पश्चात् होती है, अतः इतनी लम्बी अवधि में व्यापारी को फार्म प्राप्त करके इन्हें हिसाब-किताब प्रस्तुत करने के लिये नियत प्रथम तिथि को प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। सदस्यों ने इस प्रतिबन्ध से उत्पन्न अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया। विचार-विमर्श के उपरान्त समिति ने यह मत स्थिर किया कि सभी प्रपत्रों को कर-निर्धारण के लिये हिसाब-किताब प्रस्तुत करने हेतु नियत अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर दी जाये और नियमों में तदनुसार संशोधन कर दिया जाये। समिति ने यह भी अनुभव किया कि प्रत्येक बिल / कैश मेमो के लिये एक प्रपत्र प्रस्तुत करने की वर्तमान व्यवस्था अव्यावहारिक है तथा इससे व्यापारियों को बहुत कठिनाई होती है। तदनुसार समिति ने संस्तुति की कि एक व्यापारी के साथ 3 कैलेन्डर माह के लेनदेन एक ही प्रपत्र में भरे जाने की सुविधा दी जानी चाहिये।

18—सदस्यों ने यह विचार भी प्रकट किया कि व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत फार्म, विशेषकर फार्म 'सी', साधारण या तकनीकी दोषों पर अस्वीकार कर दिये जाते हैं जिससे व्यापारियों को बहुत कठिनाई होती है। विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने यह मत व्यक्त किया कि केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर प्रपत्र अस्वीकार न किये जायें। इस संबंध में एक-रूपता लाने एवं व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिये विभाग द्वारा ऐसी मामूली तथा महत्वपूर्ण त्रुटियों, दोषों या कमियों की सूची बनाई जाये और उसे अधिकारियों में प्रसारित किया जाये।

19—<u>लेखों का अस्वीकरण तथा श्रेष्ठतम विवेक से कर निर्धारण</u>:—समिति को बताया गया कि बिक्री-कर अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कर-निर्धारक अधिकारियों को श्रेष्ठतम न्याय एवं विवेक के आधार पर विक्रय-धन अवधारित करने की तभी आवश्यकता होती है जबकि या तो व्यापारी द्वारा कोई लेखे ही प्रस्तुत नहीं किये जाते अथवा जांच तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख स्वीकार करने योग्य नहीं पाये जाते। ऐसी परिस्थितियों में व्यापारी का विक्रय-धन न्याय और विवेक के आधार पर अवधारित किया जाता है जिसके लिये विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। सदस्यों का मत था कि प्रायः श्रेष्ठतम विवेक के आधार पर जो निर्णय किया जाता है उसमें व्यापारिवर्ग के प्रति भीषण अविश्वास की झलक दिखाई देती है तथा विक्रयधन और कर को बिना उचित, ठोस या सबल आधार के असमानुपातिक रूप से बढ़ा दिया जाता है। इससे व्यापारियों को अपील, रिवीजन आदि में अनावश्यक व्यय करना पड़ता है और व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ती है। यह भी मत व्यक्त किया गया कि कर-निर्धारण की यह वर्तमान प्रणाली न तो व्यावहारिक है और न न्यायसंगत। छोटी-छोटी त्रुटियों के आधार पर व्यापारियों के बहीखातों को अस्वीकार करना अनुचित है। यह भी कहा गया कि प्रायः कर-निर्धारण से पूर्व प्रतिकूल तथ्यों से व्यापारियों को अवगत नहीं कराया जाता है और एक-पक्षीय निष्कर्ष निकाल कर कर-निर्धारण कर दिया जाता है, जो अत्यन्त अनुचित और असंगत है।

20—विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे सैद्धान्तिक निर्देश दिये जायें जिनके आधार पर व्यापारियों के अभिलेख अस्वीकार करके विवेक से कर

निर्धारण किया जा सकता है। यद्यपि सभी सम्भावित मामलों के सम्बन्ध में तो ऐसा करना कठिन होगा, तथापि उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये कर-निर्धारण सम्बन्धी निर्णयों में उल्लिखित तथ्यों तथा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन व संकलन करके अधिकारियों के मार्ग-दर्शन हेतु विभाग द्वारा एक निर्देशिका बनाई जानी चाहिये जो स्वयं स्पष्ट हो और जिसमें विवाद की सम्भावना न हो। एक सदस्य ने सर्वश्री पाइलट शू कम्पनी, आगरा के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को महत्वपूर्ण बताया और उसे इस निर्देशिका में सम्मिलित किये जाने पर बहुत बल दिया। समिति ने यह मत भी व्यक्त किया कि निर्देशिका बनाने के पश्चात् उसमें उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये तथा दिये गये विधिक अधिकारों का किसी भी प्रकार दुरुपयोग करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। सदस्यों ने विचार-विमर्श के दौरान कहा कि यद्यपि उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार एक वर्ष में किया गया सर्वेक्षण किसी अन्य वर्ष के कर-निर्धारण के लिये तब तक प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक कि उस वर्ष के लिये भी अन्यथा प्रासंगिक न हो, तथापि कुछ मामलों में इस सिद्धान्त को नहीं माना जाता। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि इस सिद्धान्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों द्वारा पारित कर-निर्धारण आदेशों की जांच की जानी चाहिये और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। कुछ सदस्यों का विचार था कि यदि रूपपत्र भरने में कुछ भूल हो जाये तो इसका सदैव प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत व्यक्त किया कि 5 प्रतिशत तक की भूल को साधारणतया प्रतिकूल नहीं माना जाना चाहिये। सदस्यों ने कहा कि कर-निर्धारण के समय कुछ अधिकारी उन व्यापारियों से भी, जिनका लेखा-वर्ष वित्तीय-वर्ष से भिन्न है, 31 मार्च की तिथि को स्टाक का विस्तृत विवरण मांगते हैं, जिसे देना उक्त व्यापारियों के लिये दुष्कर है। समिति ने मत व्यक्त किया कि आयुक्त, बिक्री-कर कर-निर्धारक अधिकारियों को इस आशय के निर्देश भेज दें कि वित्तीय वर्ष से भिन्न लेखा-वर्ष रखने वाले व्यापारियों से 31 मार्च की तिथि को स्टाक का विवरण प्रस्तुत करने पर बल न दिया जावे। समिति ने यह संस्तुति भी की कि व्यापारियों के अभिलेख को अस्वीकार करने से पूर्व कम से कम 15 दिन का समय देते हुये उन्हें एक "कारण बताओ" नोटिस अवश्य जारी किया जाये जिसमें ऐसे सभी बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख हो जिनके आधार पर व्यापारी के लेखे अमान्य करना प्रस्तावित हो।

21—कुछ सदस्यों ने यह विचार रखा कि सामान्यतः कर-निर्धारण आदेश करदाता की उपस्थिति में ही लिखवाया जाना चाहिये, किन्तु विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने इस सुझाव को व्यावहारिक नहीं पाया। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि कर-निर्धारक अधिकारियों द्वारा सुनवाई के पश्चात् कर-निर्धारण आदेश पारित होने में हो रहे वर्तमान विलम्ब को ध्यान में रखते हुये जो अधिकारी आदेश तुरन्त जारी कर दें, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी सन्दर्भ में समिति ने यह मत भी व्यक्त किया कि ईमानदार व्यापारियों को भी प्रोत्साहित करना उचित होगा।

22—समिति के समक्ष यह तथ्य भी आया कि उत्तर प्रदेश में कर-योग्य व्यापारियों की कुल संख्या लगभग दो लाख है जिसमें से लगभग 1,70,000 व्यापारियों का वार्षिक विक्रय-धन 2 लाख रुपये से कम है। 2 लाख रुपये से कम विक्रय-धन वाले इन व्यापारियों से राजस्व का लगभग 15 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। अतः इनके वादों में अधिक समय तथा शक्ति व्यय करने से राजस्व को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति के मामले में 50,000 रुपये तक तथा साझेदारी फर्म के मामले में 75,000 रुपये तक सकल आय वाले करदाता के नक्शे उन्हें बिना बुलाये ही स्वीकार कर लिये जाते हैं। यदि बिक्रीकर विभाग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाय तो अनिस्तारित कर-निर्धारण वादों में बहुत कमी हो जायगी और बिक्रीकर अधिकारी बड़े वादों पर, जिनमें 85 प्रतिशत राजस्व निहित है, अधिक ध्यान दे सकेंगे। यह भी कहा गया कि पंजाब के बिक्रीकर विभाग ने हाल ही में यह प्रणाली

अपनाई है। इस संबंध में समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि आयकर एवं बिक्री-कर प्रणाली में काफी अन्तर है। बिक्री-कर के मामलों में व्यापारी अनेक स्थितियों में कर मुक्ति का दावा करते हैं जिसके लिये उन्हें निर्धारित प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने होते हैं। इनका सत्यापन बिना अभिलेखों को देखे संभव नहीं हो सकता है और इसी कारण व्यापारियों को कर-निर्धारण के समय बुलाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण के समय अथवा अन्यथा पाये गये प्रतिकूल तथ्यों के संबंध में व्यापारियों का स्पष्टीकरण भी प्राप्त करना आवश्यक होता है। समिति ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करके यह मत स्थिर किया कि यदि व्यापारी द्वारा अपने नक्शों के साथ कर-मुक्ति के दावों से संबंधित सभी विवरण एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा व्यापारी के विरुद्ध सर्वेक्षण के दौरान या अन्यथा पाये गये कोई प्रतिकूल तथ्य न हों, तो 2 लाख रुपये तक कर-योग्य विक्रय-धन के व्यापारियों के रूपपत्र उन्हें बिना बुलाये स्वीकार कर लिये जायें। समिति ने यह संस्तुति भी की कि यदि रूपपत्रों के साथ ऐसे विवरण व साक्ष्य संलग्न न हों तो व्यापारी को, अभिलेख प्रस्तुत कराने से पूर्व, विवरण व साक्ष्य दाखिल करने का एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये।

23--अस्थायी कर-निर्धारण:--अस्थायी कर-निर्धारण करने के पूर्व कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा संबंधित व्यापारी को नोटिस देने की आवश्यकता के प्रश्न पर समिति ने अनुभव किया कि इस सुझाव को स्वीकार करने से न केवल विभागीय कार्य में अनावश्यक वृद्धि होगी बल्कि व्यापारी के कर-निर्धारण की कार्यवाही वर्ष में एक बार के बजाय पांच बार करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही वितथी तथा विधि का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले व्यापारी में भी कोई अन्तर न रह जायेगा। अतः समिति ने उक्त सुझाव को तो अव्यावहारिक माना किन्तु विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि यदि अस्थायी कर-निर्धारण के पश्चात् व्यापारी संबंधित त्रैमास का रूपपत्र, स्वीकृत कर सहित, प्रस्तुत कर देता है, तथा निर्धारित अवधि तक उसे प्रस्तुत न करने का संतोषजनक कारण बता देता है तो उसके विरुद्ध पारित अस्थायी कर निर्धारण आदेश संबंधित कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा निरस्त या संशोधित कर दिये जाने की व्यवस्था अधिनियम में कर दी जाय।

24--विक्रयधन में कुछ मदों का सम्मिलित न किया जाना:--कुछ सदस्यों ने बताया कि कहीं-कहीं कर-निर्धारक अधिकारी, व्यापारी द्वारा क्रेताओं से वसूल किये गये बिक्री-कर को भी कर-योग्य विक्रय-धन में सम्मिलित कर रहे हैं। समिति को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि दिनांक 4 नवम्बर, 1974 से 25 मई, 1975 तक की अवधि को छोड़कर, जब कि संबंधित धारा में एक स्पष्टीकरण जोड़ कर बिक्री-कर के रूप में ग्राहकों से वसूली गई धनराशि को भी विक्रय-धन का अंग मानने की स्पष्ट व्यवस्था की गई थी, विभाग का सदैव यही निश्चित दृष्टिकोण रहा है कि वसूला गया बिक्री-कर विक्रयधन का अंग नहीं माना जायेगा। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि एक स्पष्ट प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया जाये कि उपरोक्त अवधि के अतिरिक्त अन्य किसी अवधि के संबंध में बिक्री-कर की धनराशि को विक्रयधन का अंग मानकर कर-निर्धारण न किया जाय।

25--यह सुझाव भी विचारार्थ आया कि माल के वास्तविक मूल्य पर ही बिक्री-कर लगना चाहिये और कर-योग्य क्रयधन में खर्चा, पैकिंग तथा कमीशन की राशियों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने संस्तुति की कि इस सुझाव में निहित विधिक पहलुओं की जांच शासन स्तर पर कर ली जाय।

26--माल वापसी का लाभ:--बिक्री-कर की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत विक्रय किया गया माल यदि क्रेता द्वारा प्राप्ति के 3 माह के अन्दर वापस कर दिया जाता है तो विक्रेता व्यापारी उक्त माल से संबंधित विक्रय मूल्य अपने विक्रय-धन से घटा सकता है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत यह अवधि 6 माह रखी गयी है। समिति ने संस्तुति की कि

राज्य विधि के अधीन भी उक्त अवधि बढ़ा कर 6 माह कर दी जाय। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यदि एक वित्तीय वर्ष में बेचा गया माल दूसरे वित्तीय वर्ष में (किन्तु उक्त अवधि के भीतर) वापस आ जाता है तो उससे संबंधित विक्रय मूल्य विक्रय-धन में से घटाने का प्राविधान होना चाहिये।

27--निस्तारित वादों का पुनः खोलना:---सदस्यों का विचार था कि कभी-कभी कुछ अधिकारी व्यापारियों के निस्तारित वादों को मनमाने ढंग से तथा मामूली कारणों से पुनः खोलने हेतु बिक्रीकर अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर देते हैं जिससे व्यापारियों को व्यर्थ में परेशानी होती है। आयकर अधिनियम के तत्संबंधी प्राविधान से आयकर अधिकारियों को इस मनमानी पर अंकुश रहता है। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत स्थिर किया कि धारा 21 में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है, तथापि सभी अधिकारियों को इस आशय के प्रशासनिक आदेश जारी कर दिये जायं कि वह धारा 21 के अन्तर्गत व्यापारियों को नोटिस जारी करने के पूर्व उसके कारणों का उल्लेख संबंधित पत्रावली के आदेशफलक पर अवश्य कर दें। सदस्यों का यह भी विचार था कि धारा 21 की नोटिस की तामीली के पश्चात् वाद के निस्तारण हेतु कर-निर्धारक अधिकारियों को प्राप्त एक वर्ष की समयावधि अधिक है, जिसे घटाकर केवल 6 माह कर देना उपयुक्त होगा।

28---कालबाधित होने की समयावधि:---कर-निर्धारण हेतु वर्तमान कालावधि को कम करने के सुझाव के संबंध में समिति का विचार था कि कर-निर्धारण समय से हो जाने से विभाग और व्यापारियों दोनों को ही सुविधा होगी। तथापि अधिकारियों की कमी के कारण अगले वर्ष की समाप्ति तक ही पिछले वर्ष के सभी कर-निर्धारण वादों को निपटाना संभव नहीं हो रहा है। समिति ने आशा व्यक्त की कि विभाग स्वयं इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेगा ताकि कर-निर्धारण वादों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। समिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि प्रतिप्रेषित वादों के निस्तारण हेतु कोई कालावधि निश्चित न होने के कारण कर-निर्धारक अधिकारी साधारणतया इनके प्रति उदासीन रहते हैं तथा यह वाद लम्बी अवधि तक अनिर्णीत पड़े रहते हैं। समिति ने यह संस्तुति की कि प्रतिप्रेषित वादों के लिये विधिक रूप से एक वर्ष की अवधि निश्चित कर दी जाय।

29--विभिन्न प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण:--सदस्यों का विचार था कि कर-निर्धारक अधिकारी प्रायः पंजीयन या नवीकरण, आदेशों के संशोधन, रिफन्ड, एकपक्षीय कर-निर्धारण आदेशों के निरसन तथा इसी प्रकार के अन्य प्रार्थना-पत्रों को काफी अवधि तक लम्बित रखते हैं जिससे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी और कठिनाई होती है। यद्यपि ऐसे प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के लिये बिक्रीकर आयुक्त ने प्रशासनिक रूप से अवधि निश्चित कर दी है, तथापि उनका अनुपालन साधारणतः नहीं हो रहा है। अतएव समिति ने संस्तुति की कि उपरोक्त सभी प्रकार के प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के लिये 90 दिन की अवधि प्रशासनिक रूप से निश्चित कर दी जाये तथा बिक्रीकर आयुक्त सभी अधिकारियों को इस आशय के कठोर आदेश भेज दें।

30---अर्थ दण्ड:---सदस्यों का विचार था कि बिक्री कर अधिनियम में अर्थदण्ड का वर्तमान प्राविधान कई मामलों में बहुत कठोर है। अतः विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें व्यापारियों द्वारा जानबूझ कर करापवंचन की नीयत से विधि का उल्लंघन न किया गया हो, अर्थ-दण्ड में भारी कमी की जानी चाहिये। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत स्थिर किया कि केवल कर-मुक्त माल बेचने वाले व्यापारियों द्वारा समय से रजिस्ट्रेशन अथवा उसका नवीकरण न कराने के लिये अर्थ-दण्ड की राशि रजिस्ट्रेशन शुल्क की दुगुनी ही रखी जाय। अन्य व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन या नवीकरण समय से न कराने के लिये अर्थ-

दण्ड की धनराशि एक कर-निर्धारण वर्ष के लिये 50 रुपए प्रतिमाह किन्तु अधिकतम राशि 500 रुपए रखी जाये। प्रशासनिक आदेशों द्वारा यह भी व्यवस्था कर दी जाये कि जब तक व्यापारी ने जानबूझ कर बिक्री-कर जमा करने में विलम्ब न किया हो तब तक अर्थ-दण्ड न लगाया जाये। विधि के ऐसे उल्लंघनों के सम्बन्ध में, जो जानबूझ कर करापवंचन की नीयत से न किये गए हों, अर्थ दण्ड की अधिकतम राशि 500 रुपए तक ही रखी जाय।

31— समिति का विचार था कि कर-निर्धारण हो जाने के कई-कई वर्ष बाद भी अर्थ-दण्ड के संबंध में कार्यवाही करने से व्यापारी को बहुत परेशानी होती है और उन्हें अनेक वर्षों के अभिलेख अनावश्यक रूप से सुरक्षित रखने होते हैं। अतः समिति ने संस्तुति की कि आयुक्त, बिक्री कर प्रशासनिक निर्देश जारी करके ऐसी व्यवस्था कर दें कि अर्थ दण्ड की कार्यवाही यथा-सम्भव कर-निर्धारण के 2 वर्ष के अन्दर पूरी कर दी जाये।

32—बकाया वसूली: —इस समय बिक्रीकर बकाया की वसूली का कार्य प्रदेश के 11 जिलों में विभाग के नियंत्रण तथा देखरेख में होता है और शेष जिलों में राजस्व अधिकारियों की देखरेख में। समिति का यह मत था कि बकाया वसूली का कार्य सभी जिलों में विभागीय अधिकारियों को दिया जाये जिससे व्यापारियों की अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। इस समय अपील, रिवीजन, धारा 22, धारा 30 आदि के आदेशों द्वारा निर्धारित कर या अर्थदण्ड की धनराशि में हुई कमी या समाप्ति अथवा रिफंड के कारण वसूली प्रमाण-पत्र के संशोधन की सूचना अमीन तक पहुंचने में काफी विलम्ब होता है और व्यापारियों को काफी कठिनाई होती है। सदस्यों का यह भी मत था कि वसूली का उत्तरदायित्व विभागीय अधिकारियों को देने से कर-निर्धारक अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के स्वीकृत कर में अनावश्यक या अनुचित वृद्धि करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा क्योंकि उन्हें ही उसकी वसूली करनी होगी।

33—समिति ने मत व्यक्त किया कि कर-निर्धारण के समय जब व्यापारी कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तो उसके विरुद्ध सभी बकाया धनराशि उसे बता देनी चाहिये तथा नए मांग पत्र के साथ पुरानी बकाया भी सूचित कर देनी चाहिये। इससे व्यापारी को अपने ऊपर बकाया की अद्यावधि जानकारी हो जायेगी तथा साथ ही, यदि उसके द्वारा जमा कोई धनराशि बिक्रीकर कार्यालय के अभिलेखों में अंकित नहीं है तो उसके ठीक करने के संबंध में भी अविलम्ब कार्यवाही हो सकेगी। समिति ने यह मत भी व्यक्त किया कि संबंधित आदेश तथा मांग-पत्र की तामील के 90 दिन के पश्चात् तथा व्यापारी को पूर्व सूचना देने के उपरांत ही वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिये। अपील/पुनरीक्षण निर्णय प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर संशोधित वसूली प्रमाण-पत्र डिप्टी कलेक्टर तथा व्यापारी के पास भेजा जाना चाहिये। व्यापारी वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध जो धनराशि जमा करे उसे मूल मांग में समायोजित किया जाना चाहिये, ब्याज में नहीं, जैसा कि प्रायः कर दिया जाता है। समिति ने यह भी संस्तुति की कि बकाया पर ब्याज की धनराशि किसी भी दशा में मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिये। समिति ने यह भी संस्तुति की कि बकाया वसूली के संबंध में गिरफ्तारी के आदेश देने से पूर्व बकाया धनराशि का भुगतान करने हेतु व्यापारी को समुचित समय दिया जाना चाहिये।

34—सदस्यों का मत था कि विभागीय वसूली व्यवस्था के पश्चात् पुरानी बकाया की वसूली की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। पुराने मामलों में यह प्रमाणित करने के लिये कि उन्होंने कितनी राशि जमा की है, व्यापारियों को पुराने अभिलेख भी सुरक्षित रखने पड़ते हैं जिससे उन्हें अत्यधिक कठिनाई होती है। विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत व्यक्त किया कि विभागीय वसूली की व्यवस्था हो जाने के बाद मूल मांग-पत्र की तिथि से 3 वर्ष के पश्चात् बकाया वसूली प्रमाण-पत्र जारी न किए जायें।

35--सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि यदि विभाग ब्याज से छूट देने को सहमत हो जाये तो बहुत से पुराने बकायादार संबंधित बकाया मूल धनराशि को जमा कर देंगे। यह शंका भी व्यक्त की गई कि यदि ऐसा कर दिया गया तो कुछ व्यापारी इसका अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत स्थिर किया कि यह सुविधा एक निश्चित तिथि के पूर्व के बकायों पर हो दी जाये तथा इसका लाभ उन व्यापारियों को न दिया जाये जिन्होंने बिक्रीकर वसूल तो है किन्तु जमा नहीं किया है। अतएव, समिति ने यह संस्तुति सिद्धान्त रूप से स्वीकार की तथा संस्तुति की कि शासन आयुक्त, बिक्रीकर से विचार-विमर्श करके एक योजना तैयार करे ताकि पुरानी बकाया की वसूली में सहायता मिले।

36— समिति ने यह संस्तुति भी की कि एक सेटिलमेन्ट कमीशन की स्थापना की जावे ताकि व्यापारी वर्ग कर अदा करने के संबंध में समझौता कर सके।

37--स्थगन तथा किस्त--बिक्रीकर अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था में विवादग्रस्त कर को स्थगित करने का अधिकार केवल पुनरीक्षण अधिकारियों को है तथा किस्त करने का कोई प्राविधान नहीं है। शासन द्वारा प्रशासनिक आधार पर बकाया की वसूली का स्थगन या किस्त की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों का मत था कि पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय, अपीलीय अधिकारियों के कार्यालयों की तुलना में, कम स्थानों पर होने से स्थगन प्राप्त करने में व्यापारियों को असुविधा होती है जो काफी हद तक कम हो सकती है यदि स्थगन का अधिकार अपीलीय अधिकारियों को दे दिया जाये। यह भी मत व्यक्त किया गया कि जहां बकायादार इस स्थिति में नहीं है कि बकाया धनराशि एकमुश्त दे सके उन सभी मामलों में शासन से किश्तों में भुगतान के आदेश प्राप्त करना उसके लिए कठिन होता है। अतः समिति ने संस्तुति की कि किस्त करने का अधिकार आयुक्त, बिक्रीकर को तथा स्थगन देने का अधिकार अपीलीय अधिकारी को उन्हीं प्रतिबन्धों के साथ दे दिया जाये जो पुनरीक्षण अधिकारी के संबंध में लागू हैं।

38 – सदस्यों ने वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्थगन के पूर्व विवादित कर का 1/3 भाग जमा कराए जाने की व्यवस्था पर भी विचार किया। समिति को सूचित किया गया कि इस शर्त का आधार विभाग का यह अनुभव है कि सामान्यतः अपील, पुनरीक्षण आदि के फलस्वरूप भी विवादित कर का 1/3 से अधिक भाग बना रहता है। इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षण अधिकारी को यह अधिकार है ही कि वे उपयुक्त मामलों में इस शर्त को शिथिल कर दें। सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि इस प्राविधान से व्यापारियों को कठिनाई होती है क्योंकि पुनरीक्षण अधिकारी साधारणतः इसे शिथिल नहीं करना चाहते। समिति ने संस्तुति की कि इस संबंध में विवादित कर के 1/3 भाग के स्थान पर 1/5 भाग ही जमा करने की व्यवस्था कर दी जाये। समिति ने यह संस्तुति भी की कि यदि विवादग्रस्त कर व्यापारी के वार्षिक स्वीकृत कर के 50 प्रतिशत से कम हो तो उसके स्थगन हेतु कोई प्रतिभूति नहीं मांगी जानी चाहिये।

39 --अपील:--बिक्रीकर अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी आयुक्त, बिक्रीकर के अधीक्षण एवं नियंत्रण में रहते हैं किन्तु यह प्रतिबंध रखा गया है कि उक्त अधीक्षण एवं नियंत्रण के प्रयोग में आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा ऐसे कोई आदेश, अनुदेश या निदेश नहीं दिए जायेंगे जिनसे अपीलीय अधिकारी के अपीलीय कृत्यों के प्रयोग विषयक विवेक में हस्तक्षेप हो। समिति को बताया गया कि नवम्बर, 1967 तक अपीलीय अधिकारी न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के नियंत्रण में रहते थे। अपीलीय अधिकारियों द्वारा हुई चूकों के लिये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा उनके स्थानान्तरण करने में प्रशासनिक कठिनाई का अनुभव किया गया। उक्त कारण से तथा अन्य राज्यों के बिक्रीकर विभाग में प्रचलित व्यवस्था को देखते हुए इस प्रदेश में भी उन्हें नवम्बर, 1967 से आयुक्त, बिक्रीकर के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था। समिति के समक्ष यह तथ्य भी आया कि इस व्यवस्था

के बाद भी स्वीकृत अपीलों के प्रतिशत में पहले की तुलना में कमी नहीं हुई है। विचार-विमर्श में सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि अपीलीय अधिकारियों के प्रति व्यापारियों में इस समय विश्वास की भावना सामान्यतः समाप्त हो गई है तथा उन्हें यह विश्वास हो चला है कि आयुक्त, बिक्रीकर का नियंत्रण होने के कारण अपीलीय अधिकारी अपील का निर्णय देते समय अपने हाथ बंधे महसूस करते हैं और न्याय नहीं दे पाते। अतएव, समिति ने संस्तुति की कि अपीलीय अधिकारी पूर्व की भांति न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के प्रशासनिक नियंत्रण में रख दिए जायें। समिति ने विचार विमर्श के पश्चात् इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि अपीलीय अधिकारी विभागीय न हो कर न्यायिक सेवा से लिए जायें।

40--समिति के समक्ष यह तथ्य आया कि पहले जब अपीलीय रेंजों की संख्या कम थी तो अपीलीय अधिकारी अपीलों की सुनवाई कर-निर्धारक अधिकारी के मुख्यालय पर जाकर किया करते थे, किन्तु अधिक अपीलीय अधिकारी नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप व्यापारियों के व्यापार-स्थल से उनकी दूरी कम हो जाने के कारण यह प्रथा समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि बिक्रीकर कार्यालयों में स्थान की कमी के कारण यदि अपीलीय अधिकारी कर-निर्धारक अधिकारी के मुख्यालय पर अपील सुनने जायें तो बिक्रीकर अधिकारी अपना सामान्य कार्य नहीं कर पायेंगे जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी, जिनके कर-निर्धारण वाद उन दिनों नियत हों, कठिनाई होगी। दूसरी ओर, ऐसी व्यवस्था करने से ऐसे व्यापारियों को काफी सुविधा हो जायेगी जिनकी अपीलें नियत होती हैं। वर्तमान व्यवस्था में यदि संबंधित कर-निर्धारण अथवा गोपनीय पत्रावली अपीलीय अधिकारियों के पास नहीं पहुंचती या कर निर्धारक अधिकारी से ही कोई स्पष्टीकरण आवश्यक होता है तो सुनवाई स्थगित हो जाती है जिससे व्यापारी का समय तथा धन दोनों नष्ट होते हैं। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत व्यक्त किया कि दौरा करके अपीलों की सुनवाई की सुविधा, जहां जहां व्यावहारिक हो, उपलब्ध कराई जाये। उपायुक्त (अपील) के लिये, जो पूरे प्रदेश के लिये अभी एक ही है, समिति ने संस्तुति की कि वे अपीलों की सुनवाई बड़े-बड़े शहरों में जाकर ही करें।

41--समिति ने, व्यापारियों तथा राजस्व दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपील का निर्णय तीन माह में कर दिए जाने की संस्तुति की। समिति ने अनुभव किया कि यदि बिक्रीकर नियमावली के नियम 68(8) का अधिकाधिक प्रयोग करके अपीलीय अधिकारी स्वयं अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त कर अपीलों का निस्तारण करें तो प्रतिप्रेषित वादों की संख्या में पर्याप्त कमी हो सकती है। अतएव, समिति ने यह संस्तुति की कि अपीलीय अधिकारियों का ध्यान सामान्य रूप से उक्त नियम के अनुसार कार्यवाही करने की ओर आकर्षित किया जाये।

42--<u>पुनरीक्षण</u>--बिक्री कर अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अपील आदेश की प्राप्ति से एक वर्ष की अवधि तक उसके विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है। सदस्यों का मत था कि यह समयावधि अधिक है तथा इसे घटाकर केवल 60 दिन कर दिया जाना चाहिये। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने उक्त समयावधि घटाने का सुझाव सिद्धान्ततः स्वीकार किया तथा यह संस्तुति की कि इससे उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों का समाधान करते हुए वर्तमान अवधि को घटाने की दिशा में कार्यवाही की जाये।

43--सदस्यों ने यह विचार भी व्यक्त किया कि कभी-कभी कर-निर्धारण आदेश इतने अधिक मनमाने एवं अवैधानिक होते हैं कि व्यापारी द्वारा इसके विरुद्ध अपील किये जाने की अपेक्षा करना ही बहुत अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। इसी प्रकार कभी-कभी कुछ आदेश राजस्व के अहित में पारित किए जा सकते हैं जिनके विरुद्ध संबंधित व्यापारी द्वारा अपील किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सदस्यों का मत था कि इन दोनों परिस्थितियों से निपटने हेतु बिक्रीकर अधिनियम में उपायुक्त, बिक्रीकर द्वारा कर-निर्धारण आदेश का स्वयमेव

पुनरीक्षण किए जाने का प्राविधान होना चाहिये। यह सुझाव व्यापारी तथा राजस्व दोनों के हित में होगा। तदनुसार समिति ने इसे स्वीकार किए जाने की संस्तुति की। समिति ने यह भी संस्तुति की कि स्वयमेव पुनरीक्षण के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो आदेश पारित किए जायं उनकी अपील न्यायाधीश (पुनरीक्षण)/अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के समक्ष अथवा न्यायाधिकरण की स्थापना होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायें।

44--न्यायाधिकरण:--समिति का मत था कि अन्य राज्यों तथा आयकर विभाग की भांति इस प्रदेश में भी न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के स्थान पर बिक्रीकर न्यायाधिकरण की स्थापना की जाये। इस न्यायाधिकरण में एक न्यायिक सेवा का अधिकारी, एक उपायुक्त स्तर का बिक्रीकर विभाग का अधिकारी और एक एकाउन्ट्स मेम्बर, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो अथवा आयकर या बिक्रीकर विभाग में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, रखा जाना चाहिये। समिति को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि यह प्रश्न पहले ही शासन के विचाराधीन है और इस संबंध में आयकर विभाग तथा अन्य राज्यों में की गयी व्यवस्था का अध्ययन करके आवश्यक प्राविधान कराने पर विचार हो रहा है।

45--समिति ने यह भी संस्तुति की कि बिक्रीकर अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था के अधीन धारा 35 के अन्तर्गत विशिष्ट विधिक बिन्दुओं पर बिक्रीकर आयुक्त को निर्णय देने का जो अधिकार है उसे न्यायाधिकरण की स्थापना के पश्चात् न्यायाधिकरण को दे देना चाहिये।

46--सर्वेक्षण:--बिक्रीकर विभाग की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कर-निर्धारक अधिकारी ही कर-निर्धारण कार्य के साथ-साथ सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। समिति के समक्ष यह सुझाव रखा गया कि सर्वेक्षण तथा कर-निर्धारण कार्य भिन्न-भिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये किन्तु विचार-विमर्श के पश्चात् इस सुझाव को अव्यावहारिक पाया गया। समिति ने सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई व्यापारियों की इस कठिनाई पर भी विचार किया कि अधिकारियों द्वारा कुछ व्यापारियों का सर्वेक्षण एक वर्ष में बार-बार किया जाता है जबकि कुछ व्यापारियों के यहां कई-कई वर्षों तक सर्वेक्षण नहीं होता है। कभी-कभी सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वे नोट में स्टाक एवं विक्रय-धन के बारे में अपना अनुमान बढ़ा चढ़ा कर इंगित कर दिया जाता है जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता और इससे कर-निर्धारण के समय व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी होती है। इस संबंध में समिति ने यह मत स्थिर किया कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वे नोट में केवल तथ्य एवं आंकड़े दिए जाने चाहिये और स्टाक तथा विक्रय-धन का अनुमान नहीं लगाना चाहिये। समिति का यह भी मत था कि सर्वेक्षण का तरीका सभ्य तथा आदरपूर्ण होना चाहिये। समिति का यह भी मत था कि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान का सर्वेक्षण केवल सर्वेक्षणों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बार बार नहीं किया जाना चाहिये। समिति के विचार में यह उचित होगा कि सर्वेक्षण के कार्य में अधिकारियों के मार्ग-दर्शन हेतु आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश एक मैनुअल तैयार कराकर जारी करें।

47--सदस्यों का यह भी कहना था कि कभी-कभी अधिकारी बिना कार्यालय को सूचित किए सर्वेक्षण पर चले जाते हैं और उनकी प्रतीक्षा में व्यापारियों का समय व्यर्थ में नष्ट होता है। कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारी के आदेश के अभाव में, उस तिथि पर नियत वादों में अगली तिथि देने में असमर्थता प्रकट करते हैं। समिति के समक्ष कर-निर्धारक अधिकारी की यह कठिनाई भी आयी कि कर-निर्धारण वाद की सुनवाई की नोटिस सामान्यत: 15-20 दिन पहले जारी होती है, जब अधिकारी के लिये सर्वेक्षण का प्रोग्राम बनाना संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त बहुत से सर्वेक्षण आकस्मिक रूप से भी किए जाते हैं। सभी बातों पर विचार कर के समिति ने यह संस्तुति की कि प्रत्येक कर-निर्धारक अधिकारी का एक लिंक अधिकारी नामांकित कर दिया जाये जो सर्वेक्षण पर गए अधिकारी के यहां उस तिथि को नियत वादों में अगली तिथि प्रातःकाल दे दे, जिससे कि किसी व्यापारी का समय नष्ट न हो।

48---व्यापारियों का प्रतिनिधित्वः---बिक्रीकर नियमावली की वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत व्यापारी किसी अधिकारी के समक्ष अभिलेख आदि प्रस्तुत करने या कर-निर्धारण कार्यवाही में उपस्थित होने तथा बयान देने के लिये अपने मुनीम, एकाउन्टेंट या मैनेजर को अधिकृत कर सकते हैं। ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि अपील या रिवीजन में बहस नहीं कर सकते हैं। कुछ सदस्यों का मत था कि इस नियम के अधीन कुछ अवांछनीय तत्व अधिकारी और व्यापारी के बीच दलाल के रूप में कार्य करते हैं जिससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने पर रोक लगाना उचित होगा। दूसरी ओर, वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने से अनेक व्यापारियों (विशेषकर बड़े व्यापारियों) को कठिनाई हो सकती है। सभी पहलुओं पर विचार करके समिति ने यह संस्तुति की कि वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन आवश्यक न होगा किन्तु विभाग यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार न हो।

49---कुछ सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि किसी भी कार्यवाही में व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रथम बार जो पावर आफ अटार्नी कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है वही पावर आफ अटार्नी उक्त वर्ष से संबंधित सभी कार्यवाही, जैसे कर-निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, आदि के लिये पर्याप्त होनी चाहिये। समिति को सूचित किया गया कि यह तर्क कई बार बहुत पहले अपीलीय तथा पुनरीक्षण अधिकारियों के समक्ष, जो उच्च-न्यायिक सेवा के थे, रखा गया था किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने संस्तुति की कि इस आशय के आदेश जारी कर दिए जायें कि एक कर-निर्धारण वर्ष के लिये एक अधिकारी के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाही के लिए एक पावर आफ अटार्नी पर्याप्त समझी जाये।

50---शुल्कः---अपील, पुनरीक्षण तथा रेफरेंस के शुल्कों में गत वर्ष की गई वृद्धि के संबंध में सदस्यों का मत था कि इससे न्याय मंहगा हो गया है। स्थगन तथा अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्रों पर गत वर्ष से प्रथम बार लगाए गए शुल्क से भी व्यापारी के लिये अनावश्यक व्यय-भार हो गया है तथा राजस्व को भी कोई विशेष आय नहीं होती है। समिति का विचार था कि यद्यपि शुल्क की व्यवस्था दी गई सेवाओं को ध्यान में रख कर तथा अर्थहीन प्रार्थना-पत्रों को समाप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, तथापि बिक्रीकर विभाग में ऐसे प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्रों पर शुल्क रखना उचित नहीं प्रतीत होता है। तदनुसार समिति ने उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों पर शुल्क समाप्त करने एवं अपील/पुनरीक्षण/रेफरेंस के शुल्कों को पुराने स्तर पर ले आने की संस्तुति की।

51---सदस्यों का यह भी मत था कि बिक्रीकर अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत विशिष्ट विधिक विन्दुओं पर बिक्री-कर आयुक्त का निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों पर निर्धारित 50 रुपये के शुल्क का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था व्यापारी की सुविधा के लिये की गयी है। यह कहा गया कि व्यापारी इस धारा का प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि अधिनियम के उपबन्ध के सही अर्थ या किसी मद पर कर की दर के सम्बन्ध में बाद में कोई विवाद उत्पन्न न हो अथवा अपील/पुनरीक्षण की आवयश्कता न हो। इससे विभाग तथा व्यापारी दोनों का कार्य तथा व्यय बचता है। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह संस्तुति की कि कर की दर या विन्दु की जानकारी हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना-पत्र पर कोई शुल्क न लगाया जाये किन्तु अन्य बातों हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्र पर, दी गयी सेवा को ध्यान में रखते हुए तथा अनावश्यक प्रार्थना-पत्रों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, 50 रुपए के वर्तमान शुल्क की व्यवस्था बनाये रखी जाये।

52---रिफण्डः---सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि व्यापारियों पर बकाया धनराशि पर विभाग द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर व्यापारियों को वापसी-योग्य धनराशि

पर विभाग द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर से अधिक है, जो अनुचित है। समिति ने विचार-विमर्श के पश्चात् यह मत स्थिर किया कि वापसी-योग्य धनराशि पर ब्याज की दर बकाया धनराशि पर ब्याज की दर के बराबर, अर्थात् 18 प्रतिशत, करना न्यायसंगत होगा। समिति के समक्ष रिफन्ड वाउचर का भुगतान प्राप्त करने में वर्तमान कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया। सदस्यों का मत था कि रिफंड वाउचर का भुगतान सीधे बैंक से प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिये। समिति ने इस सूचना का स्वागत किया कि इस संबंध में पहले से ही आवश्यक नियमों का आलेख्य बनाकर विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

53---सदस्यों का विचार था कि वापसी-योग्य धनराशि पर व्यापारी को ब्याज वापसी आदेश के दिनांक से न मिलकर उस तिथि से मिलना चाहिये जिस तिथि को संबंधित धनराशि जमा की गई थी। इससे व्यापारी विवाद-ग्रस्त कर को जमा करने में टाल-मटोल न कर उसे शीघ्र जमा करने की दिशा में प्रोत्साहित होंगे। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने इस सुझाव को स्वीकार करने की संस्तुति की।

54---सदस्यों ने विचार प्रकट किया कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कर-निर्धारक अधिकारी उन वादों में, जिनमें भारी वापसी-योग्य धनराशि निहित होती है, कर-निर्धारण आदेश उच्च अधिकारियों को अनुमोदनार्थ भेजते हैं, जो न्यायिक दृष्टि से अनुचित है। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि यदि यह व्यवस्था लागू हो तो इसे तुरन्त समाप्त कर दिया जाये। समिति ने यह भी संस्तुति की कि जिन कर-निर्धारण आदशों में वापसी निहित हो उनमें रिफंड वाउचर कर-निर्धारण आदेशों के साथ ही व्यापारियों को भेजे जाने चाहिए।

55---<u>चेक पोस्ट</u>---समिति को सूचित किया गया कि चेक पोस्ट की स्कीम लागू होने के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिक्रीकर राजस्व में लगभग 25-30 करोड़ रुपये वार्षिक की वृद्धि हुई, जिससे यह स्पष्ट है कि चेक पोस्ट करापवंचन को काफी हद तक रोकने में सफल हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चेक पोस्टों की वर्तमान व्यवस्था देश के अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी सिद्ध हो रही है। सदस्यों ने चेक पोस्टों की उपयोगिता एवं महत्व को तो स्वीकार किया किन्तु यह विचार प्रकट किया गया कि चेक पोस्टों के कारण व्यापारियों को अत्यधिक परेशानी हो रही है क्योंकि छोटे-छोटे टेक्नीकल कारणों को आधार मानकर उनका माल चेक पोस्टों पर रोक लिया जाता है तथा जमानत और अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है। सदस्यों का विचार था कि चेक पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों को इतने व्यापक अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने विवेक का दुरुपयोग करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर यह बताया गया कि फार्म 31/32 को जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर का न मिलना या माल के बीजक में लिखे मूल्य को वास्तविक मूल्य से कम बताना, यह सब ऐसे बिन्दु हैं जिन पर बिना किसी उचित आधार के भी विवाद खड़ा किया जा सकता है और व्यापारी को परेशान किया जा सकता है। आयुक्त, बिक्रीकर ने बताया कि ट्रांस पोर्टर्स ने चेक पोस्टों पर काफी संख्या में ऐसे फार्म दिए जो बाद में जाली सिद्ध हुए। इस कारण यह व्यवस्था अपनाई गई है कि फार्म 31/32 जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर चेक पोस्टों पर भेज दिये जायें ताकि वास्तविक हस्ताक्षर का मिलान करके उनके जाली अथवा असली होने का निर्णय मौके पर ही लिया जा सके। सदस्यों ने इस मामल पर जो कठिनाई बतार्या है उससे विभाग अवगत है और इस कारण अब यह व्यवस्था की जा रही है कि इन फार्मों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया जाये ताकि जाली फार्मों का भय ही समाप्त हो सके। अन्डर-इनवार्यासिंग वाले मामलों के बारे में समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि यदि फार्मों की सत्यता के बारे में कोई संदेह न हो और केवल फार्म में अंकित वस्तुओं के मूल्य के बारे में विवाद हो तो इस सम्बन्ध में व्यापारी और ट्रान्सपोर्टर के विरुद्ध चेक पोस्ट पर कोई कार्यवाही न करके चेक पोस्ट अधिकारी सारे तथ्य सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को भेज दें जो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। समिति का यह

भी विचार था कि यदि ट्रक में फार्म 31 32 में अंकित माल से अधिक माल हो तो इस अधिक माल के बारे में ही नियमानुसार कार्यवाही चेकपोस्ट के अधिकारी कर सकते हैं। यह ध्यान में अवश्य रखा जाये कि जिस व्यापारी के फाम 31/32 सही हैं उससे संबंधित माल के संबंध में उस पर कोई कार्यवाही न की जाय। उदाहरण के लिये यदि ट्रक में 100 बोरे माल मिलता है और फार्म 31/32 में केवल 50 बोर का उल्लेख है तो ऐसे 50 बोरों के बारे म ही नियमानुसार कार्यवाही की जाये। प्रशासनिक आदेशों द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि जिस मामले में अधिकारी पूणतया संतुष्ट हो कि व्यापारी और ट्रान्सपोटर का किसी प्रकार के करापवंचन का ध्येय नहीं था और फाम भरने में केवल टेक्निकल कमी रह गई है, उसमें वे अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें और व्यापारी को करापवंचक समझकर उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न करें। फाम 32 से संबंधित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने यह संस्तुति की कि विधि म संशोधन करके इस आशय का प्राविधान किया जाय कि यदि फार्म में दी गयी वैधता की अवधि समाप्त हो गई है तो व्यापारी अपने कर-निर्धारक अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर आवश्यकतानुसार उसका पुनर्वैधीकरण करा सकते हैं। यह भी संस्तुति की गयी कि फार्म 32 की वैधता की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जो फार्म 31/32 अधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं उनमें अधिकारी का पूरा नाम, पूरे हस्ताक्षर, पद का नाम तथा कार्यालय स्पष्ट रूप से अंकित हों।

56---सदस्यों ने यह समस्या भी रखी कि कुछ अधिकारी व्यापारियों को फार्म 31 द्वारा व्यापार-स्थल के अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य जिले में माल ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे है। समिति को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिससे व्यापारी के लिये यह आवश्यक हो कि आयातित माल उत्तर प्रदेश के अन्दर उसी स्थान के लिये प्रेषित हो जहां व्यापारी का व्यापार-स्थल है। यदि फाम 31 सही है और उसमें कोई कमी या त्रुटि नहीं है तो आयातित माल का प्रदेश में कोई भी गन्तव्य स्थान हो सकता है। आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा इस आशय का प्रशासनिक परिपत्र पहले भी जारी किया जा चुका है। समिति ने मत व्यक्त किया कि इस बात को पुनः स्पष्ट करते हुए प्रशासनिक आदेश जारी कर दिये जायें।

57---सदस्यों का मत था कि फार्म 31/32 के लिये 50 रुपये की वर्तमान सीमा बहुत ही कम है जिसे बढ़ा देना चाहिए। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह सीमा 500 रुपये निश्चित करने की संस्तुति की।

58---सदस्यों का मत था कि फार्म 31/32 के अभाव में बिक्रीकर के तीन गुने के बराबर जो अर्थदण्ड लगाया जा सकता है, वह अधिक है। बिक्रीकर आयुक्त ने समिति को सूचित किया कि ऐसे प्रशासनिक आदेश जारी किये जा चुके है कि यदि सहायक आयुक्त (कार्यपालक) उचित समझें तो विशिष्ट मामलों में देय-कर के तीन गुने के स्थान पर डेढ़ गुनी राशि ही जमानत के रूप में लेने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

59---सदस्यों ने व्यापारियों द्वारा रेल से मंगाये गए माल से संबंधित फार्म 31 32 पृष्ठांकित कराने की वर्तमान क्लिष्ट प्रणाली की ओर समिति का ध्यान आकर्षित किया जिससे व्यापारियों को बहुत कठिनाई हो रही है। विचार-विमर्श के पश्चात् यह संस्तुति की गयी कि जब फार्म 31/32 सिक्योरिटी प्रेस से छपने लगेंगे तब माल के संबंध में पृष्ठांकन की प्रथा समाप्त कर दी जायेगी और व्यापारी के लिये यह आवश्यक कर दिया जायेगा कि माल छुड़ाने के पूर्व वह इन फार्मों को विधिवत् भर लें, भरा हुआ फार्म माल स्टेशन से छुड़ाकर

ले जाते समय अपने साथ रखे तथा माल छुड़ाने के 24 घंटों के अन्दर विक्रीकर कार्यालय में जमा कर दे। समिति का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया कि चेक पोस्ट व्यवस्था के प्रारंभिक दिनों में कई व्यापारियों ने नियमों की पूर्ण जानकारी न होने के कारण रेल से आये माल के संबंध में फार्म 31 पहले से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाये थे, यद्यपि उक्त माल के संबंध में उन्होंने फार्म "सी" जारी किये थे तथा माल का उल्लख उनके अभिलेखों में भी है। समिति ने संस्तुति की कि इस त्रुटि को महत्व न दिया जाय और ऐसे मामलों में अर्थ दण्ड न लगाया जाय। यदि इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हों तो उन्हें दोहराते हुए पुनः जारी कर दिया जाय तथा उनमें समय का प्रतिबन्ध न हो।

60---विशेष अनुसंधान शाखा ----समिति ने विशेष अनुसंधान शाखा की कार्य-प्रणाली पर सामान्य रूप से विचार विमर्श किया। कुछ सदस्यों ने विशेष अनुसंधान शाखा के अधिकारियों द्वारा कभी-कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग तथा व्यापारियों का निरादर करन की शिकायत की। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत व्यक्त किया कि आयुक्त, बिक्रीकर प्रशासनिक आदेश जारी करके अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि छापों के समय व्यापारियों का निरादर या उत्पीड़न न किया जाय तथा इन निदशों का अनुपालन न करने वाल अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। समिति ने यह भी संस्तुति की कि समाचार-पत्रों में विशष अनुसंधान शाखा द्वारा पकड़े गये बिक्रीकर के अपवंचन का जो समाचार प्रकाशित किया जाता है उसमें व्यापारी तथा अधिकारी के नामों का उल्लेख न किया जाये।

61--कुछ सदस्यों ने कहा कि विशेष अनुसंधान शाखा में जब हिसाब किताब की जांच होती है तो कभी-कभी अभिग्रहीत हिसाब-किताब दिखाये बिना ही पूंछतांछ की जाती है जिनका उत्तर देना व्यापारी के लिये संभव नहीं होता है। समिति ने विचार-विमर्श के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि विशेष अनुसंधान शाखा में हिसाब-किताब की जांच के समय व्यापारी को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए तथा अभिग्रहीत हिसाब-किताब उसे उपलब्ध कराने के पश्चात् ही पूंछतांछ की जानी चाहिए। आयुक्त, बिक्रीकर इस आशय के प्रशासनिक आदेश विशेष अनुसंधान शाखा के सभी अधिकारियों को भेजेंगे।

62--भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न पर रोक--समिति का मत था कि भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न से संबंधित जो भी शिकायतें प्राप्त हों उन पर सक्रिय रुप से प्रभावी जांच तथा कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि दोषी तथा अन्य व्यक्तियों के लिये वह निवर्तक हो। समिति ने यह मत भी व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार के प्रति वरिष्ठ अधिकारियों को सदा जागरूक रहना चाहिए और उसे रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिए। समिति ने यह भी संस्तुति की कि बिक्रीकर कार्यालय में शिकायत बाक्स के स्थान पर शिकायत रजिस्टर रखा जाय ताकि प्राप्त शिकायतों का रिकार्ड रहे तथा उन्हें दूर करने की दिशा में किये गये प्रयासों की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाना संभव हो सके।

63--सदस्यों ने कहा कि कर-निर्धारण हेतु अथवा अन्य किसी कारणवश यदि व्यापारी को बिक्रीकर कार्यालय बुलाया जाता है तो नोटिस में उपस्थित होने का समय न लिखे होने के कारण उसे प्रातः 10.00 बजे ही कार्यालय पहुंचना पड़ता है और इस प्रकार उसका पूरा दिन नष्ट हो जाता है। आयुक्त, बिक्रीकर ने समिति को बताया कि सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे नोटिसों में अपरान्ह अथवा पूर्वान्ह का समय अवश्य लिखें और यदि किसी कार्यालय में ऐसा नहीं हो रहा है तो यह बात उनकी जानकारी में लाई जाये ताकि दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

64--सदस्यों का मत था कि उत्पीड़न का एक मुख्य कारण यह भी है कि कर-निर्धारक अधिकारियों के लिये संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तथा इसी लक्ष्य-प्राप्ति की

चेष्टा में अनेक अधिकारी बढ़ा-चढ़ा कर बिक्री कर निर्धारित करते हैं, जिससे कि व्यापारी को अनावश्यक कठिनाई तथा परेशानी होती है। समिति के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के विभिन्न कार्यों के मूल्यांकन हेतु 'नार्म' नियत किया जाता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे प्रत्येक दशा में उत्पीड़न अथवा विधि विपरीत कार्य करके उसे पूरा करें। यदि 'नार्म' निश्चित न किया जाये तो विभिन्न अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन तथा खराब कार्य करने वाले या कार्य न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना कठिन होगा। आयुक्त, बिक्रीकर ने बताया कि दोष पाये जाने पर ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है तथा चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है जिसका प्रभाव उनके स्थायीकरण एवं प्रोन्नति पर पड़ता है। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत व्यक्त किया कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि लक्ष्य-निर्धारण के कारण अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके व्यापारियों को उत्पीड़ित न करें।

65--कार्यालय भवन तथा आवास गृह--सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि कर-निर्धारक अधिकारी, अपीलीय अधिकारी, पुनरीक्षण अधिकारी आदि के कार्यालय जिलों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं जिससे व्यापारियों को अत्यधिक परेशानी होती है। अतः यदि एक नगर में स्थित बिक्रीकर विभाग के सभी कार्यालयों को एक ही स्थान पर कर दिया जाये तो व्यापारियों को बहुत आसानी हो जायेगी। समिति को यह सूचित किया गया कि विभाग इस दिशा म स्वयं प्रयत्नशील है और जिन नगरों में संभव हुआ है विभिन्न कार्यालयों को एक ही स्थान पर कर दिया गया है। अन्य नगरों में भी यह प्रयत्न बराबर जारी है। समिति ने इस पर संतोष व्यक्त किया और संस्तुति की कि इस दिशा में और अधिक प्रयास किया जाये। समिति का यह भी मत था कि बिक्रीकर कार्यालयों में व्यापारियों और वकीलों के बैठने, पानी, पंखे आदि की समुचित व्यवस्था विभाग को करनी चाहिए। समिति ने यह भी संस्तुति की कि विभाग को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये कार्यालय भवनों, जांच चौकियों तथा आवासीय कालोनियों के निर्माण हेतु स्वीकृत करना चाहिए ताकि बिक्रीकर विभाग के अधिकारी/कर्मचारी इन मामलों में जनता तथा व्यापारियों पर आश्रित न रहें।

भाग "ख"—कर की दरों से संबंधित

66--बिक्रीकर की दरें- समिति ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न वस्तुओं पर बिक्रीकर की दरों में देहली तथा उत्तरी क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों की भिन्नता पर विस्तारपूर्वक विचार किया। समिति को बताया गया कि देहली में कर की दरें कम रखने के संबंध में देहली प्रशासन का तर्क यह रहा है कि देहली उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वितरण केन्द्र है। अक्टूबर, 1975 से पूर्व विशिष्ट उपभोग की वस्तुओं पर देहली में कर की अधिकतम दर केवल 7 प्रतिशत थी किन्तु अन्य राज्यों द्वारा बल देने पर नए अधिनियम में, जो देहली में अक्टूबर, 1975 से प्रभावी हुआ, बिक्रीकर की दरों में कुछ वृद्धि अवश्य की गई है तथापि अब भी वहां की दरें केवल हरियाणा तथा पंजाब राज्यों के बराबर पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश की दरों से प्रायः कम हैं। देहली, पंजाब तथा हरियाणा में विशिष्ट उपभोग की वस्तुओं पर कर की दर 10 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी वस्तुओं पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगता है। इसके साथ साथ दो लाख रुपए से अधिक वार्षिक विक्रय-धन के व्यापारियों पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी लगता है। समिति का विचार था कि प्रभावी दरों में 3 प्रतिशत का अन्तर होने के कारण विशिष्ट उपभोग की वस्तुओं के संबंध में व्यापार में काफी व्यावर्तन और करापवंचन हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के व्यापार तथा उद्योग को काफी हानि हो रही है और कतिपय उद्योग प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में स्थापित हो रहे हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि कतिपय आवश्यक वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश में अधिक दर से कर लगता है, जबकि देहली में या तो यह वस्तुएं कर मुक्त हैं या बहुत कम दर

से कर योग्य हैं। जहां तक केन्द्रीय अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं का संबंध है, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में स्थिति लगभग एक सी है, किन्तु जिन वस्तुओं पर कर की दर में 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत का भी अन्तर है, उसका कुप्रभाव उन वस्तुओं पर पड़ रहा है। सामान्य कर की दर इस समय देहली तथा उत्तर प्रदेश दोनों में 7 प्रतिशत है किन्तु उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त कर के कारण बिक्रीकर का आपात अधिक है। यही नहीं, अन्य कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर उत्तर प्रदेश की दर देहली, पंजाब तथा हरियाणा की दरों से 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत अधिक हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं, जैसे कृषि यन्त्र, रासायनिक खाद, 7 1/2 हार्सपावर के पम्प, जो देहली, पंजाब तथा हरियाणा में कर-मुक्त हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में कर योग्य हैं।

67--समिति के समक्ष देहली राज्य का यह तर्क भी रखा गया कि उनके वहां बिक्रीकर अन्तिम बिन्दु पर लगता है जबकि उत्तर प्रदेश म प्रथम बिन्दु पर। समिति ने इस तर्क को प्रभावपूर्ण नहीं माना। समिति के विचार में सबसे बड़ी समस्या उन वस्तुओं के संबंध में है जिनमें कर की दरों म अधिक अन्तर है और ऐसी वस्तुओं की सूची काफी लम्बी है। समिति का मत था कि प्रश्न केवल देहली का ही नहीं। जब पंजाब तथा हरियाणा में भी दरें देहली से अधिक नहीं हैं तो देहली की दरों से उत्तर प्रदेश की दरों को बढ़ा कर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार की बढ़ी दरों से प्रदेश की औद्योगिक प्रगति लगभग बन्द है। साथ ही व्यापारी एवम् अधिकारी-वर्ग दोनों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। प्रदेश के सामने कई उद्योगों का उदाहरण है, जैसे बाइसिकिल आदि, जो केवल कर के भार के कारण उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाये।

68--समिति के सामने यह तथ्य भी रखा गया कि कतिपय वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश में देहली की तुलना में कर की दरें कम हैं। ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में समिति का मत था कि यह दरें विशेष कारणों से कम रखी गई हैं और इनको इस समय बढ़ाना उचित न होगा।

69 - विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत व्यक्त किया कि यदि इस प्रदेश में दरों में कमी करके देहली, पंजाब तथा हरियाणा की दरें अपनाई जाती हैं तो व्यापार का व्यावर्तन रुकेगा और व्यापारियों का टर्नओवर इतना बढ़ेगा कि राजस्व की सम्भावित हानि पूरी हो जायेगी। इस प्रकार समिति ने सामान्यतः यह मत निश्चित किया कि जिन वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर की दरें देहली, पंजाब तथा हरियाणा की दरों से अधिक हैं, उनकी दरें घटा कर इस प्रकार लाई जायें कि 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर के आपात को जोड़ कर बिक्रीकर का आपात बराबर रहे। समिति ने संस्तुति की कि ऐसी कमी प्रयोगात्मक रूप से 6 माह या 1 वर्ष के लिये कर के देखा जाये कि उससे राजस्व हानि तो नहीं होती।

70--समिति ने उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1970 से प्रभावी अतिरिक्त कर की व्यवस्था के औचित्य पर पृथक रूप से भी विचार-विमर्श किया। समिति को बताया गया कि यह व्यवस्था अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिये की गई थी और चालू वित्तीय वर्ष में इससे लगभग 25 करोड़ रुपये की आय अनुमानित की गई है। अतिरिक्त कर अन्य कई राज्यों में भी लगता है, यद्यपि देहली, पंजाब तथा हरियाणा में अतिरिक्त कर नहीं लगता है। सदस्यों का मत था कि अतिरिक्त कर से उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में कर की प्रभावी दरों में अन्तर और बढ़ जाता है और व्यापारियों को अभिलेखों के रख-रखाव में भी कठिनाई अनुभव होती है। इसके अतिरिक्त, एक ओर कुछ अधिकारी मार्जिनल व्यापारियों का विक्रय धन केवल इसलिये 2 लाख रुपये से अधिक निश्चित करते हैं ताकि उन पर अतिरिक्त कर लगाया जा सके, दूसरी ओर व्यापारी जो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अतिरिक्त कर के कारण इसके लिये हतोत्साहित होते हैं। सभी बातें ध्यान में रखते हुए समिति ने यह मत स्थिर किया कि अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया जाये। समिति का निश्चित मत था कि इससे व्यापार बढ़ेगा और राजस्व हानि होने की सम्भावना नहीं है।

71-- समिति को विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों/संगठनों से कर की दरों में कमी अथवा कर मुक्ति संबंधित अनेकों विशिष्ट सुझाव प्राप्त हुए थे। समिति ने इस सम्बन्ध में अनेक व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनसे अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। उत्तर प्रदेश के पड़ोस के राज्यों, विशेषकर देहली में प्रचलित दरों का भी समिति ने गहराई से अध्ययन किया। सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने इस दिशा में निम्न संस्तुतियां कीं :-- ..

(क) कर मुक्ति-- निम्नलिखित वस्तुओं को बिक्री-कर से मुक्त किया जाये :--

1-- ट्रैक्टर के अतिरिक्त अन्य शक्तिचालित कृषि यंत्र

2-- 7 1/2 हार्स पावर तक के बिजली के मोटर

3-- संगमरमर, अलाबास्टर तथा अन्य पत्थरों की कला वस्तुयें

4-- खली तथा बिनौला

5-- पीतल के राड व सर्किल, जिनका प्रयोग बर्तन बनाने में होता है

6-- नकली आभूषण

7-- दोना तथा पत्तल ..

8-- बेकरी के वह उत्पाद जिनके उत्पादन हेतु किसी स्तर पर पावर का उपयोग नहीं होता है

9-- टायर कटिंग की चप्पलें

10-- खाने के तेल

11-- ककड़ी, खीरा, खरबूजा तथा तरबूज के बीज जिनमें इनके मगज सम्मिलित नहीं हैं

12-- बताशा तथा इलाइचीदाना।

(ख) कर की दरों में कमी--निम्न वस्तुओं पर कर की दरों में कमी करके निम्न प्रकार कर की दरें रखी जायें :--

वस्तु		कर की दर		बिन्दु
		वर्तमान प्रतिशत	प्रस्तावित प्रतिशत	
1-- आर्म्स तथा एम्यूनिशन्स	..	12	10	यथावत्
2-- रेडियो तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुयें	..	12	10	"
3-- सेनिटरी के सामान	..	12	10	"
4-- सभी प्रकार की घड़ियां	..	12	10	"
5-- जीप, टेम्पो तथा अन्य मोटर गाड़ियां		12	9	"
6-- मोटर साइकिल, स्कूटर तथा मोपेड		12	7	"
7-- प्लास्टिक के कंघे	..	12	7	"
8-- बांस तथा बल्ली	..	12	7	"

वस्तु		कर की दर वर्तमान प्रतिशत	कर की दर प्रस्तावित प्रतिशत	बिन्दु
9--चन्दन पाउडर	..	12	7	यथावत्
10--टार्च तथा ट्रांजिस्टर सैल	..	7	5	,,
11--कांच की शीशी तथा बोतल	..	7	5	,,
12—ऊनी होजरी	..	7	5	,,
13--तिलहन	..	4	4	,,
		(उद्योग को वर्तमान कच्चे माल की रियायत समाप्त कर दी जाय) ।		
14--फुटवियर	..	7	4	थोक विक्रेता
15--वाटर कलर/पेस्टल कलर बाक्स	..	7	3	यथावत्
16--चमड़ा	..	4	2	,,
17--साइकिल के सीट कवर	..	7	2	,,
18--काटन यार्न	..	2	1	निर्माता/आयातकर्ता
19--सूती तथा नायलान होजरी	..	2 तथा 5	1	यथावत्

(ग) केन्द्रीय बिक्रीकर की दर में रियायत—केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 8 (5) के अन्तर्गत निम्न वस्तुओं पर नियमानुसार रियायती दर से कर आरोपित किया जाये :--

1--फुटवियर की अन्तर्प्रदेशीय बिक्री पर प्रत्येक अवस्था में कर की दर 4 प्रतिशत रखी जाय।

2--स्पोर्ट्स के सामान पर यदि प्रादेशिक अधिनियम के अन्तर्गत कर दिया जा चुका है तो अन्तर्प्रदेशीय बिक्रीकर मुक्त की जाय।

3 --निवाड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर मुक्त कर दी जाय।

समिति ने यह भी संस्तुति की कि अन्य कुटीर उद्योगों के संबंध में भी ऐसी ही सुविधाएं देने के प्रश्न पर शासन विचार करे।

72--कतिपय बिक्रियों पर कर की विशेष दरें-- केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम को प्रपत्र 3-डी के आधार पर बेचे गये माल पर विक्रेता को सामान्य दर, यदि वह 4 प्रतिशत से अधिक है, के स्थान पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से ही कर देना होता है। यह रियायत प्रदान करने का मुख्य आधार प्रदेश के उद्योग को सहायता देना था क्योंकि उद्योग का कथन था कि अन्य प्रदेशों के उद्योग/निर्माता उत्तर प्रदेश स्थित सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर कम्पनी, निगम आदि को 4 प्रतिशत केन्द्रीय कर ले कर माल सप्लाई कर देते हैं, जबकि अधिक दर होने के कारण उत्तर प्रदेश के निर्माता/आयातकर्ता उनकी स्पर्धा में नहीं ठहर पाते।

73--कुछ सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि यह रियायत केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा केन्द्रीय राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी कम्पनी, निगम

या उपक्रम के साथ-साथ प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षा संस्थानों तथा अनुसंधान प्रतिष्ठानों को भी मिलनी चाहिये। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह संस्तुति की कि शासन अपने स्तर पर इस सुझाव की स्वयं जांच कर ले।

74--सदस्यों ने उन व्यापारियों की कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया जो प्रदेश के अंदर से माल खरीद कर सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर कम्पनियों, निगमों आदि को सप्लाई करते हैं। ऐसे व्यापारी यदि प्रथम बिन्दु पर योग्य माल की बिक्री उपर्युक्त क्रेताओं को करते हैं तो चूंकि उन पर कर का कोई दायित्व नहीं होता है, अतः उनके लिये उपरोक्त रियायत अर्थहीन हो जाती है। यह व्यापारी निर्माता/आयातकर्ता को सामान्य दर से बिक्रीकर देने के पश्चात् माल की खरीद करते हैं, अतएव वे सरकारी विभागों को सप्लाई के संबंध में उनकी अथवा अन्य राज्यों के व्यापारियों की प्रतियोगिता में नहीं ठहर पाते हैं। सदस्यों का सुझाव था कि या तो ऐसे व्यापारियों को माल बिना कर अदा किये क्रय करने की सुविधा दे दी जाय अथवा उनके द्वारा निर्माता/आयातकर्ता को दिये गये कर में से समुचित राशि वापस की जाये।

75--समिति को प्रथम विकल्प के संबंध में स्पष्ट किया गया कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि संबंधित माल पर कर की दर अन्तिम बिन्दु पर कर दी जाय। दूसरे विकल्प को मानने में नए फार्म तथा नियम बनाने होंगे जिससे बिक्रीकर व्यवस्था और जटिल हो जायेगी तथा साथ ही रिफंड सम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने मत स्थिर किया कि इस सम्बन्ध में भी शासन स्वयं विचार करके कोई हल निकाले।

76--<u>कतिपय संव्यवहारों पर क्रयकर</u>--समिति को बताया गया कि अनेक व्यापारी प्रदेश के अपंजीकृत व्यक्तियों से माल खरीद कर अथवा पंजीकृत व्यापारियों से बिना कर दिये माल खरीदकर उक्त माल को अन्य राज्यों में कन्साइनमेंट के आधार पर भेजकर या अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपभोग करके बिक्रीकर का अपवंचन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम में मई, 1974 से धारा 3-ङ इस प्रकार के करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से ही जोड़ी गई थी। उक्त धारा को जोड़ने का उद्देश्य तो ठीक था किन्तु इसके कार्यान्वयन में अनेक कठिनाइयां शासन के समक्ष लाई गयीं। विशेष रूप से शासन को यह प्रत्यावेदन दिये गये कि लघु और कुटीर स्तरों पर चलाये जा रहे उद्योगों और असंगठित क्षेत्र में होने वाले व्यापार और उद्योगों को इस धारा के कारण बहुत कठिनाई हो रही है और उन पर दोहरा कर-भार पड़ रहा है। इस धारा के कारण विभाग के प्रति उद्योगों के आक्रोश में वृद्धि हुई है और अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां शासन के समक्ष समय-समय पर लाई गई हैं। कतिपय मामलों में इन कठिनाइयों के निराकरण के लिये कुछ न कुछ सुविधा प्रदान की गई है। समिति का विचार था कि इस धारा के फलस्वरूप करापवंचन रोककर प्राप्त होने वाले सम्भावित राजस्व की तुलना में व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयां और प्रदेश के उद्योग और व्यापारियों पर, विशेषतः जो छोटे स्तर पर और असंगठित क्षेत्र में चलाये जा रहे हैं, जो कुप्रभाव पड़ रहा है वह कहीं अधिक है। अतः समिति ने यह मत स्थिर किया कि यदि आवश्यक हो तो विधि के सामान्य प्राविधानों के अन्तर्गत करापवंचन रोकने के अन्य उपाय अपनाये जायें किन्तु इस धारा को पूर्वगामी प्रभाव से ही निरस्त कर दिया जाय।

77--<u>अधिनियम, नियम तथा दरों के परिवर्तनों का प्रचार</u>--सदस्यों का मत था कि दरों में परिवर्तन बीच-बीच में हो जाते हैं और उनका व्यापक प्रचार नहीं होता है जिससे व्यापारियों को उनकी जानकारी देर से होती है। इस अवधि में की गई खरीद व बिक्री में वे पुरानी दर को ही ध्यान में रखते हैं जिससे उन्हें बाद में बहुत परेशानी होती है। बीच में हुए संशोधनों से उन्हें तिमाही रूप-पत्रों के लिये खरीद व बिक्री छांटने में कठिनाई होती है और अधिकारियों को भी असुविधा होती है। समिति को बताया गया कि यह समस्या शासन के समक्ष पहले भी कई बार आ चुकी है किन्तु कुछ संशोधन बीच में मजबूरीवश किये जाते हैं, जैसे सितम्बर,

1976 में खाद्यान्न पर कर की दर के संबंध में किए गये दो संशोधन या उद्योग अथवा व्यापारियों को सुविधा देने हेतु किये गये संशोधन जिन्हें माह या त्रैमास की समाप्ति तक रोकने से उनकी कठिनाई उतने दिन और बनी रहती । विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने संस्तुति की कि शासन संशोधनों को तिमाही की पहिली तारीख से प्रभावी करे और परिवतनों का व्यापक प्रचार भी करे ताकि सभी व्यापारियों को इनकी जानकारी अविलम्ब हो जाये । यह भी संस्तुति की गई कि व्यापारियों की सुविधा हेतु बिक्री कर की विज्ञापित दरों की सूची छपवा कर व्यापारियों को प्रतिवर्ष समूल्य उपलब्ध कराई जाये, जो बिहार की भांति प्रतिवर्ष प्रथम अप्रैल को प्रभावी बिक्रीकर की दरों तथा कर मुक्ति की हो सकती है । समिति ने यह भी संस्तुति की कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के साथ प्रत्येक व्यापारी को बिक्रीकर से सम्बन्धित नियमावली भी दी जानी चाहिए ।

78-- सदस्यों ने बिक्रीकर नियमों तथा दरों में परिवर्तन पूर्वकालिक तिथि से प्रभावी किये जाने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया । समिति को बताया गया कि सामान्यतः पूर्वकालिक तिथि से अधिनियम, नियमों आदि में संशोधन तभी किया जाता है जबकि उच्च न्यायालय का कोई निर्णय शासन की मूल मंशा तथा व्यापारी वर्ग एवं विभाग द्वारा लम्बी अवधि तक अपनाई गयी नीति तथा व्यवस्था के विपरीत होता है, जिससे व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । इसका आशय यही होता है कि उपभोक्ता, क्रेता तथा राजस्व के कास्ट पर किसी व्यापारी विशेष को अनुचित लाभ न हो । ऐसा संशोधन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी व्यापारी वर्ग को उससे कोई नयी कठिनाई या नया उत्तरदायित्व उत्पन्न न हो । यदि ऐसा होता है तो प्रशासनिक रूप से उसे दूर किया जाता है और व्यापारी द्वारा देय कर, जो उसने ग्राहक से किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया है, माफ कर दिया जाता है । उदाहरणार्थ, जूते के निर्यात से पूर्व के क्रय-विक्रय संव्यवहार पर कर की माफी, बिजली के मोटर पर देय कर की समाधान योजना, लोहा तथा इस्पात के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न मदों की बिक्री पर देय कर की माफी आदि ।

79-- समिति के समक्ष अल्युमिनियम, बिस्कुट आदि के व्यापारियों की कठिनाई रखी गयी । कुछ बिस्कुट व्यापारियों ने बिस्कुट निर्माता/आयातकर्ता को 6 प्रतिशत (या 7 प्रतिशत) बिक्रीकर अदा किया था किन्तु उनसे पुनः 3 प्रतिशत (या 3 1/2 प्रतिशत) बिक्रीकर मांगा जा रहा है । समिति को अवगत कराया गया कि बिस्कुट विक्रेताओं की यह कठिनाई पूर्वकालिक संशोधन के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, वरन् उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्णय से उत्पन्न हुई है । इस निर्णय के अनुसार बिस्कुट, सम्बन्धित अवधि में, 6 प्रतिशत (या 7 प्रतिशत) की दर से एक पदीय कर योग्य नहीं रहा, वरन् 3 प्रतिशत (या 3 1/2 प्रतिशत) की दर से बहुपदीय कर योग्य हो गया । अतएव निर्माता/आयातकर्ता से अब उस अवधि के लिये 3 प्रतिशत (या 3 1/2 प्रतिशत) कर ही प्राप्त हो सकेगा तथा विभाग को शेष राशि उन्हें वापिस करनी होगी । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के जो क्रेता व्यापारी पूर्व व्यवस्था में कर मुक्त थे, वे भी अब विधिक रूप से इसी दर से कर योग्य हो गये, यद्यपि उन्होंने माल बेचते समय 3 प्रतिशत (या 3 1/2 प्रतिशत) कर के इस भार को ध्यान में नहीं रखा था । ऐसे ही मामलों में एक वर्ग के व्यापारी को अनुचित लाभ तथा दूसरे वर्ग के व्यापारी को अनुचित कर भार से बचाने के लिए पूर्वकालिक संशोधन आवश्यक होता है ।

80-- समिति ने विचार-विमर्श के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि यदि पूर्वकालिक संशोधन किया जावे तो उससे उत्पन्न कर के भार से ऐसे व्यापारी को, जिसने बिक्री-कर किसी भी रूप में वसूल न किया हो, प्रशासनिक रूप से मुक्त कर दिया जाय ।

81-- उद्योगों को राहत-- समिति के समक्ष नये उद्योगों को 3 वर्ष के लिये बिक्री-कर से छूट दिये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ आया । समिति की जानकारी में लाया गया कि पहिले

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम में इस प्रकार का प्राविधान था। उक्त रियायत के बावजूद प्रदेश में नये उद्योगों का विकास उत्साहवर्धक रूप से नहीं हो रहा था और बहुत कम उद्योगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था। अतः महाराष्ट्र प्रदेश के औद्योगिक विकास का अध्ययन करने के पश्चात् स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन आफ-महाराष्ट्र के अनुरूप इस राज्य में प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी जो नये उद्योगों को ब्याज रहित ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है। सदस्यों ने उपर्युक्त कारपोरेशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की दिशा में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया तथा उसकी कार्यपद्धति को सरल किये जाने पर बल दिया। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने संस्तुति की कि शासन इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करे ताकि नये उद्योगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कम से कम कठिनाई हो।

82--सदस्यों ने सभी उद्योगों के कच्चे माल को बिक्रीकर से मुक्त किये जाने के सुझाव पर भी विचार-विमर्श किया और इस संबंध में अन्य राज्यों में उद्योगों को कच्चे माल की खरीद पर रियायती दर की सुविधा का अध्ययन किया। दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा में सभी उद्योगों द्वारा कच्चे माल की खरीद कर-मुक्त है। अन्य राज्यों में उद्योगों को कच्चे माल की खरीद पर रियायती दर की सुविधा उपलब्ध है। यह रियायती दर 1 से 4 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गयी। इस समय उत्तर प्रदेश में 35 श्रेणी की वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल कर-मुक्त है, चाहे सम्बद्ध इकाइयां नई हों या पुरानी। इसके अतिरिक्त 23 श्रेणी की वस्तुओं का निर्माण करने वाली नई इकाइयों के लिए पिछड़े जिलों में 5 वर्ष और अन्य जिलों में 3 वर्ष की अवधि में कच्चे माल की खरीद कर-मुक्त है। तेल के उत्पादन के लिए तिलहन 2 प्रतिशत की रियायती दर पर तथा खली बिना कर दिए क्रय किया जा सकता है। अन्य सभी इकाइयों को 4 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चे माल की खरीद की सुविधा है। कच्चे माल की परिभाषा में संघटक एवं सहायक पुर्जे व उनकी पैकिंग के लिए कंटेनर व पैकिंग भी शामिल है। समिति ने इस पर भी विचार किया कि कराधान जांच समिति, 1974 ने उद्योगों को केवल रियायती दर पर कच्चा माल खरीदने की सुविधा देने की संस्तुति की थी और यह अनुमान लगाया था कि पूर्ण कर-मुक्ति देने से कुल राजस्व के 20 प्रतिशत के बराबर हानि संभावित है। समिति ने यह अनुभव किया कि हाल में उद्योगों को उत्तर प्रदेश में जो सुविधाएं दी गई हैं, उनसे कतिपय उद्योगों को राहत मिली है, किन्तु अन्य उद्योगों की दशा सुधारने का एक मात्र उपाय यही है कि उन्हें भी दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा की भांति कच्चे माल की खरीद पर पूर्ण कर-मुक्ति उपलब्ध करायी जाय। समिति का मत था कि उद्योगों की स्पर्धा मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र के राज्यों से होती है और अन्य राज्यों में कर-मुक्ति न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समिति के सदस्यों की यह धारणा रही कि कच्चे माल की पूर्ण कर-मुक्ति देने से उद्योगों तथा व्यापार का इस सीमा तक विस्तार होगा कि संभावित राजस्व हानि 2-3 वर्षों में पूरी हो जायेगी और उसके बाद राजस्व में वृद्धि होगी। समिति का यह भी विचार था कि कराधान जांच समिति ने 20 प्रतिशत का जो अनुमान लगाया था वह उस समय उद्योगों को दी गई नगण्य सुविधाओं के आधार पर था और अब उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार से राजस्व हानि उतनी न होगी। प्रदेश की औद्योगिक उन्नति के हित में समिति ने यह संस्तुति की कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों को दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा के समान कच्चे माल की खरीद कर-मुक्त करने की सुविधा दी जाय।

83--बिक्रीकर अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माताओं द्वारा उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए फार्म 3-ख में एक प्रमाण-पत्र देना पड़ता है। समिति के समक्ष यह सुझाव विचारार्थ आया कि इस पद्धति के स्थान पर यह व्यवस्था की जाय कि निर्माताओं द्वारा उत्पादित माल पर देय बिक्री-कर में से बिक्रीकर की उस राशि को समायोजित कर लिया जाये जो निर्माताओं ने कच्चे माल की खरीद पर विक्रेताओं को दिया है। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने इस सुझाव को व्यावहारिक नहीं पाया और यह संस्तुति की कि वर्तमान प्रणाली को

चलने दिया जावे किन्तु व्यापारियों की सुविधा हेतु एक वर्ष में किए गए सौदों के लिए एक ही फार्म 3-ख स्वीकार कर लिया जाय।

84--समिति न तेल उद्योग की समस्या पर विस्तार पूर्वक विचार किया तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के विचार भी सुने। समिति न अनुभव किया कि यद्यपि उद्योग की वतमान स्थिति केवल बिक्री-कर क कारण नहीं है, तथापि पश्चिम बंगाल म तिलहन, तेल तथा खली पर कोई कर न होने के कारण इस राज्य का उद्योग प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पाता और अपनी पूरी क्षमता क अनुसार तल का उत्पादन भी नहीं कर पाता। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् समिति न यह मत स्थिर किया कि तेल उद्योग को सुविधा देने के उद्देश्य से तेल तथा खली को पूर्णतः कर-मुक्त कर दिया जाय, किन्तु तिलहन पर उपलब्ध रियायती दर की सुविधा समाप्त कर दी जाय। समिति न मूंगफली का तेल बनाने वाले छोटे निर्माताओं की इस समस्या पर भी विचार किया कि वे, वनस्पति मिलों को मंगफली का तेल सीधे न बच पाने के कारण, वनस्पति उद्योग को उपलब्ध कच्चे माल की कर मुक्ति का लाभ नहीं उठा पात। समिति न यह मत स्थिर किया कि शासन इस समस्या पर स्वयं विचार करके कोई संतोषजनक हल निकाले ताकि यह असुविधा दूर हो सके।

85--<u>लाइसेंस प्रणाली</u>--समिति के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि गल्ला व्यापारियों, ईंट निर्माताओं तथा हलवाइयों की ओर से शासन को प्रत्यावेदन दिये गये हैं, जिनमें यह मांग की गई है कि इन व्यापारियों से पिछले वर्षों में प्राप्त बिक्रीकर राजस्व को ध्यान म रखत हुए उनसे एकमुश्त राशि लाइसेंस-फीस क रूप में ले ली जाया करे और उन्हें बिक्रीकर से मुक्त कर दिया जाये। लगभग इसी प्रकार के सुझाव सर्राफा एसोसियेशन की ओर से भी दिये गय हैं। खाद्यान्न व्यापारी संघ ने विभिन्न श्रेणी के व्यापारियों के लिये खाद्य विभाग द्वारा जारी किये गये लाइसेंस के आधार पर इस राशि को निर्धारित करन का सुझाव दिया तथा ईंट निर्माता संघ के प्रत्यावेदन में राज्य के पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में भट्टों की स्थिति के आधार पर राशि निर्धारित करन का अनुरोध किया गया है। लाइसेंस की धनराशि गल्ला व्यापारियों द्वारा 500 रुपये स 5,000 रुपये वार्षिक तक तथा ईंट व्यापारियों द्वारा 3,000 रुपये से 10,000 रुपये वार्षिक तक प्रस्तावित की गई हैं। संघों की ओर स यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार समायोजन से उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा और साथ ही बिक्रीकर कार्यालयों में काम भी बहुत कम हो जायेगा। समिति को अवगत कराया गया कि इस प्रकार की मांग शासन के पास पहले भी आ चुकी है और शासन द्वारा इस पर काफी विस्तारपूवक विचार हो चुका है। लाइसेंस के प्रकार अथवा व्यापारी क व्यापार-स्थल की स्थिति के आधार पर यदि कोई शुल्क बिक्रीकर के स्थान पर लिया जाता ह तो उसका कोई संबंध व्यापारी द्वारा एक वर्ष के भीतर किये गये व्यापार के टर्न ओवर से न होगा, जिसके कारण यह संविधान के अधीन राज्य सरकारों को प्राप्त बिक्रीकर लगाने के अधिकार के अन्तर्गत न होगा तथा छोटे व्यापारियों द्वारा इस पर आपत्ति भी की जा सकती है। एक अन्य कठिनाई यह है कि यदि इस प्रकार का कोई शुल्क निर्धारित भी किया जाता है तो उसकी वसूली सुनिश्चित करना कठिन होगा। व्यापार संगठनों पर विधि क अनुसार कोई दायित्व नहीं रखा जा सकता। यदि व्यापारियों से अलग-अलग शुल्क वसूल हो तो पूरी राशि वसूल करने में कठिनाई होगी।

86---सदस्यों का विचार था कि व्यापार संघों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की कमियों को दूर करके एक व्यावहारिक योजना बनाई जाना संभव है जो विधि में आवश्यक संशोधन करके कार्यान्वित की जा सकती है। समिति का मत था कि यदि विभाग को बिना कोई प्रयास किये वर्तमान राजस्व, उपयुक्त वृद्धि के साथ, त्रैमासिक किश्तों में अग्रिम रूप से स्वतः ही प्राप्त हो जाये तो कुछ व्यापारों के संबध में लाइसेंस प्रणाली लागू करने में शासन को कोई आपत्ति न होनी चाहिये। इस संबंध में समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यदि लाइसेंस

के प्रकार के आधार पर शुल्क निर्धारण अव्यावहारिक प्रतीत हो तो व्यापारी के टर्नओवर के आधार पर उनका वर्गीकरण विभाग द्वारा किया जा सकता है । तदनुसार, समिति ने संस्तुति की कि खाद्यान्न तथा तिलहन व्यापारियों, ईंट निर्माताओं, हलवाइयों तथा सर्राफा व्यापारियों द्वारा दिये जा रहे बिक्री-कर के स्थान पर समाधान-शुल्क की व्यवस्था विधिक रूप से प्रभावी करन क लिय उनक प्रतिनिधियों के साथ समस्त पहलुओं पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श करके, आयुक्त बिक्री-कर, उत्तर प्रदेश द्वारा एक योजना तैयार करके शासन के विचारार्थ प्रस्तुत की जाये ताकि यह व्यवस्था लागू की जा सके ।

87—-समिति के समक्ष यह सुझाव भी विचारार्थ आया कि गल्ला व अन्य कृषि उत्पादों पर मंडी-शुल्क के साथ, प्रांत के बाहर से आने वाली वस्तुओं पर चेकपोस्ट पर, खदानों/जंगलों में निकलने वाले माल पर खदान/जंगल नीलाम करते समय तथा कारखानों में बनने वाली वस्तुओं पर उत्पादन के समय ही कर वसूल लेना चाहिये । विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह मत व्यक्त किया कि कृषि उत्पादों पर मंडी-शुल्क के साथ कर वसूलने की व्यवस्था शासन परीक्षण के रूप में लागू करे । सुझाव के शेष भाग की जांच शासन स्तर पर, विभिन्न विधिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, करके निर्णय लिया जाये ।

बी0 के0 दास	शकुन्तला नायर
गंगाराम गुप्ता	मनोहर सुब्रह्मण्यम
राजकुमार खन्ना	नीतीन मजमुदार
गणेश प्रसाद अग्रवाल	एस0 वेंकटरमानी
जगत बिहारीलाल गुप्ता	अरविन्द वर्मा
बद्री प्रसाद अवस्थी	राजकुमार सामा
	रेवती रमण रस्तोगी
	श्याम सुन्दर गुप्ता

परिशिष्ट—1

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2

संख्या—एस0 टी0 2—5906/दस—9(158)-77

लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1977

कार्यालय ज्ञाप

व्यापारिक वर्ग की ओर से बहुधा यह मांग की जाती रही है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 में समय-समय पर किये गये अनेक संशोधनों के फलस्वरूप उत्पन्न जटिलताओं को दूर करके उसका सरलीकरण किया जाय ताकि व्यापारियों की कठिनाइयों का निवारण हो सके । उपरोक्त मांग पर विचार करके शासन ने अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के सरलीकरण के प्रश्न पर विस्तृत विचार हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है । तदनुसार राज्यपाल निम्नलिखित समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1—श्री मनोहर सुब्रह्मण्यम
आयुक्त एवं सचिव, संस्थागत वित्त....संयोजक ।

2—श्री एन0 एम0 मजमुदार,
आयुक्त एवं सचिव (वित्त आयोग) तथा मुख्य मंत्री जी के सचिव ।

3—आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश ।

4—श्री राजकुमार सामा, एम0 एल0 सी0, आगरा ।

5—श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, विधायक, जालौन ।

6—श्री रेवती रमण रस्तोगी, विधायक, कानपुर ।

7—श्री श्याम मोहन अग्रवाल, वाराणसी ।

8—यू0 पी0 चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष या उसका मनोनीत प्रतिनिधि ।

9—श्री विश्वम्भर दयाल, अध्यक्ष, यू0 पी0 गल्ला व्यापारी संघ, लखनऊ ।

10—श्री जगत बिहारी लाल गुप्ता, यू0 पी0 मर्चेन्ट्स फेडरेशन, लखनऊ ।

11—श्री गंगा राम गुप्ता, वकील, कटरा, इलाहाबाद ।

12—श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल, एडवोकेट, 54/26, नयागंज, कानपुर ।

13—श्री बी0 के0 दास, दास मोटर्स, मेरठ ।

14—श्री बद्री प्रसाद अवस्थी, एडवोकेट ।

15—श्री अरविन्द वर्मा, विशेष सचिव वित्त....सदस्य सचिव ।

2—उपर्युक्त समिति की बैठकें शासन के मुख्यालय पर ही होंगी । उक्त समिति राजस्व के हित तथा करापवंचन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम तथा नियमावली के विभिन्न उपबन्धों को सरल करने के संबंध में अपना प्रतिवेदन दिनांक 30-9-77 तक शासन को प्रस्तुत करेगी ।

3--समिति के असरकारी सदस्यों को समय-समय पर प्रवृत्त नियमों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को देय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) विधान मंडल के जो सदस्य समिति के सदस्य हैं उन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु की गई रेल यात्रा का किराया नहीं दिया जायेगा क्योंकि वे उन यात्राओं के संबंध में निःशुल्क रेलवे कूपन का प्रयोग करेंगे, और

(2) यदि समिति की बैठक उसी स्थान पर होती है जहां विधान मंडल का सत्र हो रहा हो, और समिति की बैठक विधान मंडल के सत्र के दौरान या उसके पूर्व या उसके क्रम में होती है, तो समिति के ऐसे असरकारी सदस्यों को, जो विधान मंडल के सदस्य हैं, समिति की बैठक में भाग लेने के लिये की गई उन यात्राओं के संबंध में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा जिनके संबंध में उन्हें विधान मंडल के सत्र म भाग लेने के लिये यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय हो।

(3) असरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके सामान्य निवास स्थान से समिति की बैठक हेतु निश्चित स्थान को की गई यात्रा के संबंध में ही देय होगा और यदि रेलवे द्वारा वापसी यात्रा के रियायती टिकट दिये जाते हैं तो उस दशा में यात्रा भत्ता के रूप में केवल रियायती टिकट का वास्तविक मूल्य तथा निर्धारित दर पर प्रासंगिक व्यय देय होगा।

समिति के सचिव समिति के असरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होंगे।

(4) समिति के असरकारी सदस्यों को देय यात्रिक भत्ते पर होने वाला व्यय लेखा शीर्षक "240-बिक्रीकर-आयोजनेतर-क-निर्देशन एवं प्रशासन-3-यात्रा-भत्ता" के नामे डाला जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि होने वाला व्यय लेखानुदान एवं संबंधित विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरा किया जायेगा और अनुवर्ती अवधि के लिये निधि 1977-78 के आय-व्ययक तथा संबंधित विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जायेगी।

मनोहर सुब्रह्मण्यम,
आयुक्त एवं सचिव,
संस्थागत वित्त।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2

संख्या एस0 टी0 2-6500/दस--9(158)-77,
लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर, 1977

कार्यालय ज्ञाप

शासकीय ज्ञाप संख्या एस0टी0 2-5906/दस-9(158)-77, दिनांक अगस्त 29, 1977 द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 में समय-समय पर किये गये अनेक संशोधनों के फलस्वरूप उत्पन्न जटिलताओं को दूर करके उसके सरलीकरण हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है, जिसमें श्री श्याम मोहन अग्रवाल, भूतपूर्व मेयर, वाराणसी भी एक गैरसरकारी सदस्य मनोनीत किये गये थे। शासन को ज्ञात हुआ है कि श्री अग्रवाल विदेश

गये हुए हैं और उनके शीघ्र वापस आने की संभावना नहीं है । अतएव उनके स्थान पर श्री राम प्रकाश कपूर, द्वारा श्री सत्य नारायण ऐंड कम्पनी, बांस फाटक, बनारस को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है ।

2—श्री राज कुमार खन्ना, खन्ना स्पोर्ट्स, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को भी उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है ।

3—सर्वश्री राम प्रकाश कपूर तथा राज कुमार खन्ना को उक्त ज्ञाप के प्रस्तर 3 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता देय होगा ।

मनोहर सुब्रह्मण्यम,
आयुक्त एवं सचिव,
संस्थागत वित्त ।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग—2

संख्या एस0टी0—दो—6234/ दस-77
लखनऊ, दिनांक 3 सितम्बर, 1977

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-एस0 टी-2-5906/दस-9 (158)-77, दिनांक 29 अगस्त, 1977 के क्रम में राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि उक्त कार्यालय ज्ञाप में गठित बिक्री-कर सरलीकरण समिति राज्य संस्थागत वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में कार्य करेगी ।

अरविन्द वर्मा,
विशेष सचिव ।

परिशिष्ट–2

समिति के समक्ष निम्न व्यापार संघों/व्यक्तियों के सुझाव प्राप्त हुए थे जिन पर विचारविमर्श किया गया :—

1—सचिव, थोक विक्रेता संघ, अल्मोड़ा ।

2—श्री रमेश अरोरा, सेक्रेटरी, अलीगढ़ लाक मैन्युफैक्चर्स एण्ड ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), ताला भवन, 5/9 पुरानी कोतवाली, अलीगढ़ ।

3—श्री मक्खन लाल गुप्त, फर्म एम0एल0पेपर हाउस, सराय रतन लाल, मोहन गेट, अलीगढ़।

4—श्री कन्हैया लाल शर्मा, निरंजन पुरी, रामघाट रोड, अलीगढ़ ।

5—श्री पुरुषोतम लाल वार्ष्णेय, महामंत्री, फुटकर खाद्य व्यापारी संघ (रजि0), अलीगढ़ ।

6—श्री कालीचरण गुप्ता, द्वारा पशु आहार व्यापार मंडल, व्यापार भवन के सामने, महावीरगंज, अलीगढ़ ।

7—श्री गोविन्द शरण अग्रवाल, मंत्री, होजरी कुटीर उद्योग संघ, आगरा ।

8—श्री रमेश चन्द्र शर्मा, मंत्री, आगरा मार्बिल हस्तकला गृह उद्योग परिषद्, गोकुलपुरा, आगरा ।

9—श्री अमर चन्द्र गुप्ता, सचिव, चेन निर्माता संघ, आगरा ।

10—श्री महेश चन्द्र बंसल, मंत्री, चक्की पत्थर व्यापारी संघ, फतेहपुर सीकरी-283110, आगरा ।

11—श्री गोकुल चन्द्र जैन, श्री सर्राफा कमेटी, किनारी बाजार, आगरा ।

12—श्री नत्थी लाल गोयल, अध्यक्ष, आगरा दाल मिल एसोसिएशन, आगरा ।

13—समस्त सदस्य, आगरा बिजली व्यावसायिक संघ (रजि0), आगरा ।

14—श्री वी0एन0 कानित्कर, आन0 जनरल सेक्रेटरी, आगरा शू फैक्टरीज फेडरेशन, हींग की मंडी, आगरा ।

15—श्री मूल चन्द गर्ग, मंत्री, आगरा लघु तेल उद्योग संघ, 4/50, फिलिपगंज, आगरा-282004 ।

16—श्री एस0के0 सरीन, सचिव, दि साइन्टिफिक मैन्युफेक्चरर्स एण्ड डीलर्स एसोसियेशन, आगरा ।

17—श्री गोपी चरण अग्रवाल, सदस्य, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर सलाहकार समिति, 18/196, माईथान, आगरा ।

18—श्री धर्मपाल विद्यार्थी, मंत्री, आगरा व्यापार समिति, 6/37, आनन्द भवन, बड़ा भाई गली, बेलनगंज, आगरा ।

19—श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री रेवड़ी विक्रेता संघ, भगत सिंह द्वार, आगरा ।

20—श्री बी0एल0अग्रवाल, पार्टनर, पाइनियर इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन, दिल्ली गेट, आगरा ।

21—श्री ओ0डी0 अग्रवाल, संजय इंजीनियरिंग वर्क्स, 27/77 पथवारी, आगरा ।

22—श्री जगदीश मेहरा, नेशनल चेम्बर आफ इंडस्ट्रीज ऐण्ड कामर्स, यू0 पी0, जी0 जी0 इन्डस्ट्रीज, पो0आ0 बेलनगंज, आगरा ।

23—श्री भगत सिंह, पेठा मिठाई उत्पादक संघ, आगरा ।

24—श्री मनी लाल शाह, अध्यक्ष, आगरा निर्यात व्यापार समिति, 6/298, तिकोनिया, बेलनगंज, आगरा ।

25—श्री एस0पी0जैन, पाटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन, फिरोजाबाद, आगरा ।

26—श्री काशी नाथ अग्रवाल, मंत्री, मार्बिल हैन्डीक्राफ्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन, आगरा ।

27--श्री राम किशोर अग्रवाल, मंत्री, आगरा मशीनरी व्यापारी संघ, गुदड़ी मन्सूर खां आगरा।

28--श्री सोहन लाल जैन, कसेरा एसोसियेशन, कसेरठ बाजार, आगरा- 3 ।

29--श्री दाऊ दयाल, अध्यक्ष, जनता आदर्श मानव कल्याण समिति, आगरा ।

30--'सुधरो सुधारो' मासिक पत्र, आगरा-3 ।

31--श्री दाऊ दयाल अग्रवाल (छाते वाले) नमक मंडी, आदर्श गली, आगरा ।

32--श्री राना प्रताप सिंह अरोड़ा, मंत्री, दि रिटेल शूज मर्चेंट्स एसोसिएशन, किनारी बाजार, आगरा ।

33--श्री कृष्ण मुरारी लाल अग्रवाल, प्रधान मंत्री, दि बैंगिल्स एसोसिएशन, फिरोजाबाद, आगरा ।

34--श्री जवाहर लाल गुप्ता, सभापति, कलात्मक चूड़ी निर्माता एवं तरल स्वर्ण उपभोक्ता औद्योगिक सहकारी समिति लि0, पो0 बाक्स नं0 26, फिरोजाबाद, आगरा ।

35--श्री मनोहर सिंह, भारतीय कृषक महासंघ, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भगतसिंह शहीद द्वार, आगरा ।

36--फोरेन टूरिस्ट ट्रेडर्स ऐंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन 18, दि माल, आगरा ।

37--आटोमोबाइल ट्रैक्टर्स एसोसियेशन, आगरा ।

38--श्री एम0एल0 अग्रवाल, सचिव, नेशनल चैम्बर आफ इंडस्ट्रीज ऐंड कामर्स, बेलनगंज, आगरा ।

39--श्री एस0जी0 लाल, मनोज दाल मिल, 6/30 बी0जी0गली, बेलन गंज, आगरा ।

40--अध्यक्ष, सर्वोदय सेवा मंडल, 30/141, आजाद गली, आगरा ।

41--श्री राम प्रकाश गुप्ता, पार्टनर, सूर्य कांत पूरन मल (खाद तिलहन व रुई के व्यापारी), फ़िलिप गंज, आगरा ।

42--श्री सुरेश कुमार मित्तल, एम0ए0, एल-एल0 बी0, आगरा युवक व्यापारी मंडल, 31/64, लुहार गली, आगरा ।

43--श्री श्याम प्रसाद मिट्ठन लाल (बैंकर्स ऐंड कमीशन ऐजेंट), बेलनगंज, आगरा ।

44--अध्यक्ष, क्राकरी एण्ड ग्लासवेयर एसोसियेशन, 14/75 विद्यार्थी मार्केट, घटिया मामू भांजा, आगरा ।

45--आगरा मार्बिल हस्तकला गृह उद्योग परिषद्, गोकुलपुरा, आगरा ।

46--श्री बी0एस0कोहली, अध्यक्ष, आगरा रबड़ शीट एवं सोल विक्रेता संघ, 1104, हींग की मंडी, आगरा ।

47--श्री श्याम लाल, श्याम ब्रास वायर ब्रुशफैक्टरी, 29/262, मंसा देवी, राजा मंडी, आगरा।

48--श्री मनी लाल शाह, अध्यक्ष, आगरा निर्यात व्यापारी समिति, द्वारा सर्वश्री लक्ष्मी चन्द्र एण्ड कं0, 6/298, तिकोनिया बेलनगंज, आगरा ।

49--सेक्रेटरी, आगरा चाक क्रेयन्स एवं स्लेट पेंसिल निर्माता संघ, 27/90 शर्मा भवन, हवेली बहादुर खां, पथवारी, आगरा।

50--श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, पी0वी0सी0केनवेस रबर के जूतों के थोक विक्रेता, आगरा।

51--श्री धर्मपाल साहनी, महामंत्री, आगरा इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, गुदड़ी मन्सुर खां, आगरा ।

52--श्री भगवती प्रसाद शर्मा, 35/77 नौबस्ता, लोहामंडी, आगरा ।

53--श्री रामदेव, मंत्री, आगरा स्टेशनरी ऐंड कापी निर्माता संघ, हास्पीटल रोड, आगरा ।

54---श्री एच0 ग्रार0 कपूर, अध्यक्ष, ग्रागरा शू सेन्टर एसोसिएशन, ग्रागरा शू सेंटर, हींग की मंडी, ग्रागरा ।

55---श्री ब्रह्म कुमार, सी/30 बेलनगंज, ग्रागरा ।

56---मंत्री, यू0पी0 वेस्ट पेपर मर्चेन्ट्स एसोसिऐशन, बेलनगंज, ग्रागरा ।

57---श्री सुरेश कुमार ग्रग्रवाल, 29/62, नमक की मंडी, ग्रागरा ।

58---श्री शिव प्रसाद गुप्ता, श्री मोती खाद्य व्यापार समिति, मोतीनगर, ग्रागरा ।

59---श्री बाबू लाल, ग्रागरा चाक क्रेयन्स ऍंड स्लेट पेंसिल मैन्यू0 एसोसिएशन, दि युनाइटेड पेंसिल वर्क्स, गुड़ की मंडी, ग्रागरा ।

60---श्री किशन लाल कोडवासी, मंत्री, ग्रागरा निटिंग वूल रेडीमेड डीलर्स एसोसियेशन, कार्यालय 1/31, ग्रमर मार्केट, जौहरी बाजार, ग्रागरा ।

61---सेक्रेटरी, ग्रागरा साइकिल सीट कवर मैन्यूफेक्चरिंग एसोसियेशन, ग्रागरा ।

62---श्री श्याम लाल जैन, मंत्री, कसेरा एसोसियेशन, कसरठ बाजार, ग्रागरा ।

63---श्री बज नाथ ग्रग्रवाल, फर्म मक्खन लाल बैजनाथ, सीरा वाला पेच, कचहरी घाट, ग्रागरा ।

64---श्री सुधा रमन ग्रग्रवाल, सभापति, ग्रागरा क्रेयन कलर ऍंड कैमिकल्स मर्चेंट्स एसोसियेशन, रावतपाड़ा, ग्रागरा ।

65---श्री प्रहलाद प्रसाद, कोपा गंज, ग्राजमगढ़ ।

66---श्री जे0पी0 बाजपेई, ऍडवोकेट, रामगंज गऊशाला, इटावा ।

67---श्री ए0 जैन, मंत्री, घी मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, इटावा ।

68---श्री प्रयाग लाल, ग्रध्यक्ष, गल्ला व्यापार मंडल, ग्रौरय्या, इटावा ।

69---श्री प्रम चन्द्र गुप्ता, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल एवं ग्रध्यक्ष प्रयाग व्यापार मंडल, स्वरूपरानी पार्क, जीरो रोड, इलाहाबाद ।

70---श्री गिरधारी लाल ग्रग्रवाल, मंत्री, श्री किराना कमेटी, इलाहाबाद ।

71---श्री पन्ना लाल कपूर, ग्रध्यक्ष, दि सिविल लाइंस मर्चेन्टस एसोसियेशन, 27, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद ।

72---श्री एम0एन0 गुलाठी, एडवोकेट, 6 कानपुर रोड, इलाहाबाद ।

73---ग्रध्यक्ष, इलाहाबाद सर्राफा समिति, 393, रानी मंडी, इलाहाबाद ।

74---श्री श्रीनाथ टंडन, 184, चौक, इलाहाबाद ।

75---सेक्रेटरी, यू0पी0 फूट ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन, इलाहाबाद ।

76---श्री एस0एस0 ग्रग्रवाल, ग्रानरेरी सेक्रेटरी, ईस्टर्न यू0पी0 चेम्बर ग्राफ कामर्स ऍंड इंडस्ट्री, 5 प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद ।

77---श्री सूर्य प्रसाद ग्रग्रवाल, ऍडवोकेट, 17, महाजनी टोला, इलाहाबाद ।

78---श्री ग्रग्रवाल, डाइरेक्टर, ब्रिज प्रोजेक्टर्स कं0 (प्राइवेट लिमिटेड), 46-47 कटरा, इलाहाबाद ।

79---श्री श्रीनाथ टंडन, एडवोकेट, 110, कल्याणी देवी, इलाहाबाद ।

80---श्री के0एन0 मित्तल, पार्टनर, घुंघरू व्यापार मंडल, जलेसर टाउन, एटा ।

81---ग्रध्यक्ष, देशी घी एसोसिएशन, कासगंज, एटा ।

82---मंत्री, एटा जिला ईंट निर्माता संघ, कासगंज, एटा ।

83---श्री मनीराम ग्रग्रवाल, महामंत्री, होजरी मर्चेंट एसोसियेशन, 32/149, मनीराम बगिया, कानपुर ।

84---श्री एच0एम0लाल, जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसियेशन, 118/498, कौशलपुरी, कानपुर ।

85---श्री राधेश्याम, ग्रध्यक्ष, स्माल स्केल सोप इंडस्ट्री एसोसियेशन, निहाल सिंह मार्केट, ग्रशोक नगर (जी0टी0रोड) कानपुर ।

86--श्री के0एस0 अग्रवाल, अध्यक्ष गृह निर्माण वस्तु विक्रेता संघ, सेवा केंद्र, 75/31, चूना बाजार, कानपुर ।

87--श्री मो0 अहमद, द्वारा टिम्बर मर्चेन्ट एसोसिएशन, कार्यालय कोपरगंज, कानपुर ।

88--मंत्री, व्यापार मंडल, मूसा टोली, 67/32, दौलतगंज, कानपुर ।

89--श्री एम0 पी0 शर्मा, द्वारा कानपुर इलैक्ट्रिक कान्ट्रैक्टर्स एण्ड मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 32/87, बगिया मनीराम, कानपुर ।

90--भारत इलैक्ट्रिकल्स, 111/2-ए, हर्ष नगर कानपुर ।

91--श्री के0पी0 अग्रवाल मिल सचिव, स्वदेशी काटन मिल्स कं0 लि0, जुही, कानपुर ।

92--श्री बी0पी0 गुप्ता, अध्यक्ष, लोहा व्यापार मंडल, 77/43 सुन्दर भवन, कुलीबाजार, कानपुर ।

93--श्री हरबन्स भल्ला, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्म्स एसोसियेशन, मैस्टन रोड, कानपुर ।

94--श्री भगवान गुप्ता, उत्तर प्रदेश बर्तन निर्माता संघ, कानपुर ।

95--श्री जगदीश प्रसाद भारतीय, अवैतनिक मंत्री, यू0 पी0 आयल मिलर्स एसोसियेशन, 52/10, शक्कर पट्टी, कानपुर ।

96--रुहेलखंड बोन मिल, द्वारा रामपुर फिलिंग स्टेशन, सिविल लाइन, कानपुर ।

97--श्री के0 एस0 दीक्षित, मंत्री, यू0 पी0 सल्फर डीलर्स एसोसियेशन, 143 फैक्टरी एरिया, पी0बी0 नं0 370, कानपुर ।

98--पार्टनर, प्रीमियर पेंट्स, 123/433 फजलगंज, कानपुर ।

99--श्री एस0 चन्द्रा, सेक्रेटरी, मर्चेंट्स चेम्बर आफ यू0 पी0, 14/38, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

100--श्री आर0 पी0 रस्तोगी, द्वारा दि ट्रेडर्स चैम्बर आफ उत्तर प्रदेश, 17/38, तिलक नगर, मेन रोड, कानपुर ।

101--श्री ओम प्रकाश, मंत्री, दि कानपुर शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन, 51/56, नयागंज, कानपुर ।

102--श्री हरि किशोर बाजपेई, नरेश होजरी स्टोर्स, कार्यकारिणी सदस्य, व्यवसाई संघ, चौक, कानपुर ।

103--श्री जुगल विहारी गुप्ता, डिसइंफैक्टैन्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (रजि०) 91, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कानपुर ।

104--श्री एस0 के0 शर्मा, डाइरेक्टर, व्यापार संदेश, बिरहाना रोड, कानपुर ।

105--श्री ओम प्रकाश, मंत्री, दि कानपुर शुगर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 51/56, नयागंज, कानपुर ।

106--श्री हर गोपाल सिंह, सेक्रेटरी, कानपुर टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 85/25, कोपरगंज, कानपुर ।

107--श्री डी0आर0 बाजपेयी, प्रेसीडेंट, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, स्वरूप नगर, कानपुर ।

108--श्री पी0 सी0 कनौडिया, दि यू0 पी0 आयल मिलर्स एसोसिएशन, 52/10, कलक्टरगंज, शक्करपट्टी, कानपुर ।

109--श्री र0 प्र0 अग्रवाल, ए/93 किदवई नगर, कानपुर ।

110--श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, परमार्थिक परिषद, 133 "एम" पर्णकुटी, किदवई नगर, कानपुर ।

111--मंत्री, लोहा कमेटी, रस्तोगी हटिया, कानपुर ।

112--श्री राम महेश्वरी, प्रधान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश घी व्यापारी संघ, खुरजा ।

113--श्री नाथ दास अग्रवाल, मंत्री, व्यापार मंडल, हिन्दी बाजार, गोरखपुर ।

114--श्री पवन बंथवाल, महामंत्री, व्यापार मंडल, हिन्दी बाजार गोरखपुर ।

115--श्री अशोक कुमार गोयल, 57, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद ।

116--श्री बी0 पी0 मित्तल, टैक्स ऐंड कामशियल ला एडवाइजर, 6, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद ।

117--श्री शम्भूदयाल अग्रवाल, बड़गाव, गोंडा ।

118--गाजीपुर व्यापार मंडल, गाजीपुर ।

119--श्री कुंदन लाल बिहारीलाल, बैंकर्स ऐंड कमीशन एजेंट, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद।

120--श्री राम किशोर, अध्यक्ष, किराना व्यापार मंडल, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद ।

121--श्री जी0 जी0 अग्रवाल, झांसी प्लास्टिक उद्योग, 12/11, सिविल लाइन्स, शास्त्री मार्ग, झांसी ।

122--श्री श्याम बिहारी लाल, पीली कोठी, टूंडला ।

123--श्री सत्य प्रभाकर, मंत्री, दून इलेक्ट्रिकल कान्ट्रेक्टर्स ऐंड मर्चेन्ट्स एसोसिएशन देहरादून, उत्तर प्रदेश ।

124--श्री श्याम लाल गुप्ता, अध्यक्ष, मेसर्स मित्तर सेन सत्य प्रकाश, 31, अरहत बाजार, देहरादून ।

125--श्री वेदपाल मित्तल, द्वारा वेद ऐंड एसोसिएट्स, चकराता रोड, देहरादून ।

126--श्री विजय प्रसाद, मंत्री, जनपद व्यापारी संघ, देवरिया ।

127--श्री किसन प्रसाद अग्रवाल, द्वारा श्री किसनु प्रसाद बनवारी लाल, तिलक चौक, पडरौना, देवरिया ।

128 --श्री एम0 एल0 कपूर, अध्यक्ष, अपर इंडिया बोन मिल्स, 19, लिंक रोड एक्सटेंशन, न्यू देहली ।

129 --श्री रूप नारायण, महामंत्री, अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद्, 8-9, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली ।

130 --श्री लाल बहादुर, चांदनी चौक, सेन्ट्रल बैंक के पीछे, दिल्ली ।

131--श्री सभापति, दुर्गा अनाज मंडी, काशीपुर, नैनीताल ।

132--श्री मोहन लाल गर्ग, अध्यक्ष, दि तराई एरिया राइस मिलर्स एसोसिएशन, रुद्रपुर, नैनीताल ।

133 --श्री ब्रजेंद्र कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, 43, डोरी लाल, पीलीभीत ।

134--श्री मोहन लाल महेश्वरी, डाइरेक्टर, ग्लास बीड्स मैन्यूफक्चरर्स एसोसिएशन (रजि0), महेश्वरी मोती उद्योग, कर्बला, फिरोजाबाद ।

135--श्री कृष्ण मुरारी लाल अग्रवाल, प्रधान मंत्री, दी बैंगिल्स एसोसियेशन, फिरोजाबाद ।

136--श्री बाल किशन गोयल, मंत्री, फिरोजाबाद, सैल्युलायड एण्ड प्लास्टिक चूड़ी संघ, फिरोजाबाद ।

137--श्री बी0एस0गुप्ता, दि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसियशन, गली इमामबाड़ा, फिरोजाबाद ।

138--श्री रघुवर दयाल वर्मा, एम0एल0ए0, फिरोजाबाद ।

139--श्री घनश्याम दास, 176 रामनगर कालोनी, फैजाबाद ।

140--श्री नरेश चन्द टंडन, अध्यक्ष, सीमेंट स्टाकिस्ट संघ, अकबरपुर, फैजाबाद ।

141--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, अध्यक्ष, मंत्री, परफ्यूमर्स एसोसियेशन कन्नौज, फर्रुखाबाद ।

142--श्री ओम प्रकाश, मंत्री, दि ब्रास ऐंड कापर मरचेंट्स एसोसियेशन, फर्रुखाबाद ।

143 --श्री राजेंद्र नाथ मेहरोत्रा, परफ्यूमर्स एसोसियेशन (रजि0) कन्नौज, फर्रुखाबाद ।

144--श्री ब्रज मोहन लाल गुप्ता, सेक्रेटरी, गल्ला व्यापारी संघ, बांदा ।

145--श्री सूरज प्रकाश नन्दा, अध्यक्ष थोक विक्रेता संघ (रजि0), गोसाईं गंज, बांदा ।

146--श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, मंत्री, गल्ला व्यापार मंडल, कर्वी, बांदा ।

147--मंत्री, सैल्स टैक्स बार एसोसियशन, बुलन्दशहर ।

148--मंत्री, दि गल्ला मंडी एसोसियेशन, बुलन्दशहर ।

149--मंत्री, ग्रेन मर्चेंट्स एसोसियेशन, बाजपुर (जिला नैनीताल) ।
150--श्री शिखर चन्द जैन, सेक्रेटरी जनरल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, बड़ौत (मेरठ) ।
151--श्री अनन्त राम जैन, सेक्रेटरी, शू मर्चेंट एसोसियेशन, बड़ौत ।
152--श्री मदन लाल अग्रवाल, अध्यक्ष, गल्ला वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, बहराइच ।
153--श्री हरबंस लाल मटनहेलिया, स्टेशन रोड, बहराइच ।
154--श्री एम0एच0 व्यास, आनरेरी जनरल सेक्रेटरी, गुजराती होटल, 56 स्टेशन रोड, गया, बिहार ।
155--श्री सत्य नारायण, प्रधान मंत्री, जिला हलवाई संघ, बलिया, मो0 विष्णुपुरी, निकट गांधी आश्रम भवन, बलिया ।
156--श्री जगदीश चन्द्र वास्ते फर्म गोदन लाल ऐंड कम्पनी, बबराला, बदायूं
157--श्री पाल गुप्ता, पार्टनर, फर्म प्रेमपाल हरप्रसाद, जनरल मर्चेन्ट ऐंड कमीशन एजें। बबराला, बदायूं ।
158--सर्वश्री अशरफी लाल राम गोपाल, कमीशन एजेंट, बबराला, बदायूं ।
159--श्री बी0के0 भल्ला, रीजनल मनजर, विमको लिमिटड, क्लटरबकगंज, बरेली ।
160--श्री हरद्वारी लाल शर्मा, द्वारा राम रिख दास ख्याली राम, मारवाड़ी गंज, बरेली ।
161--श्री शिव सरन, 111 खत्रियान, बिहारीपुर, बरेली ।
162--श्री द्वारिका प्रसाद, द्वारा अशोक एजसीज, श्यामगंज, बरेली ।
163--डा0बी0बी0 राज, टाउन हाल रोड बरेली ।
164--श्री एस0के0 खंडेलवाल, एडवोकेट, 110 नया टोला, बरेली ।
165--श्री कैलाश नाथ केसरवानी, महामंत्री, उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसियेशन (रजि0), ला0 काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, बरेली ।
166--श्री के0 कुमार, ऐडवोकेट, 458 सिकलापुर, बरेली ।
167--श्री हितेश कुमार शर्मा ऐडवोकेट, सिविल लाइन, बिजनौर ।
168--श्री मो0 अकबर कारपेट मैन्युफक्चरर्स एसोसिएशन, लाल डिग्गी, मिर्जापुर ।
169--श्री महश चन्द्र अग्रवाल, मंत्री, सौदागर संघ, मथुरा ।
170--श्री के0के0गुप्ता, व्यवसाई संघ, तिलक द्वार, मथुरा ।
171--श्री रामकुमार अग्रवाल, ऐडवोकेट, मंत्री, टैक्सेशन बार एसोसियेशन, मथुरा ।
172--श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, मंत्री, ट्रेडर्स एसोसियेशन, मथुरा ।
173--श्री मदन मोहन, अध्यक्ष, सूत व्यापार मंडल, गोलकुआं, शोराब गट, मेरठ ।
174--श्री प्रेम नाथ, 172, अबूलेन, मेरठ कैन्ट, मेरठ ।
175--श्री राजेंद्र अग्रवाल, चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, चैम्बर भवन, रोडवेज बस स्टैन्ड के सामने, मेरठ ।
176--श्री मदन मोहन, अध्यक्ष, व्यापारिक संघ, 65, सुभाष बाजार, मेरठ ।
177--श्री के0जी0 लोहिया, अध्यक्ष मेरठ कैमिस्ट ऐंड ड्रगिस्ट एसोसियेशन, द्वारा लवकुश ट्रेडर्स, छिप्पी टैंक, मेरठ
178--श्री राधारमन अग्रवाल, सभापति, आगरा क्रेयन, कलर ऐंड कैमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन, रावतपाड़ा, आगरा ।
179--श्री मूलचन्द गर्ग, मंत्री, आगरा लघु तेल उद्योग संघ, 4/5 फिलिपगंज, आगरा ।
180--श्री सुभाष चतुर्वेदी, मंत्री, आगरा आयरन फाउन्डर्स एसोसियेशन, 88, नार्थ विजय नगर, आगरा ।
181--श्री पी0एन0आर्या, पार्टनर, प्रीमियर एजेंसीज, श्यामकला मार्केट, आगरा ।
182--सूत व्यवसायिक संघ, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ ।
183--श्री छोई लाल, फूलपुर टाउन एरिया, आजमगढ़ ।
184--श्री शिवमंगल प्रसाद (दुखिया), 46/204, गनेशगंज, लखनऊ ।
185--श्री उत्तर प्रदेश मर्चेन्ट्स फेडरेशन, कमला मारकेट, लखनऊ ।

186---श्री ए0 एस0 भाटिया, अध्यक्ष, आल इंडिया स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन (रजि0) सूरजकुंड स्पोर्ट्स कालोनी, मेरठ ।
187---श्री लक्ष्मीनारायण महेश्वरी, केसरगंज, मेरठ ।
188---श्री अनिलकुमार महेश्वरी, एडीटर, इंडियन सीन्स, 169/8 आबूलेन, मेरठ कैन्ट ।
189---श्री आर0के0जैन, सेक्रेटरी, वेस्टर्न यू0 पी0 चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पोस्ट बाक्स नं012, बाम्बे बाजार, मेरठ कैन्ट ।
190---श्री राजेंद्र मोहन ओबराय, मंत्री, जनरल मर्चेन्टस एसोसियेशन, हापुड़, रेलवे, रोड, हापुड़, मेरठ ।
191---श्री विजय कुमार, मंत्री, मेरठ निवाड़ निर्माता संघ, द्वारा गुप्ता निवाड़ फैक्टरी, बागपत रोड, मेरठ ।
192---श्री भूषण, मंत्री, मेरठ जनरल मरचेंट्स एसोसिएशन, द्वारा सर्वश्री विश्वम्भर दास देवी दयाल, गंज बाजार, सदर, मेरठ ।
193---सर्वश्री आनन्द स्वरूप महेश कुमार जैन, बड़ौत मंडी, आनन्द गंज, मेरठ।
194---श्री कान्ती प्रसाद बंसल, मंत्री, किराना व्यापार संघ, नेताजी स्टोर, 5-दालमंडी, मेरठ।
195---मंत्री, बड़ौत गुड़ खांडसारी ऐंड ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 71-बी, रुई मंडी, बड़ौत, मेरठ ।
196---श्री अनन्त राम जैन, सेक्रेटरी, जनरल मर्चेन्टस एसोसिएशन, बड़ौत, मेरठ ।
197---श्री शिखर चन्द जैन, सेक्रेटरी, जनरल मरचेंट्स एसोसियेशन, बड़ौत, मेरठ ।
198---श्री तिलकराम महाजन, मैनेजिंग पार्टनर, महाजन ट्रेडिंग कं0, सूरजकुंड रोड, मेरठ ।
199---श्री रामजीदास, अध्यक्ष, मुरादाबाद टैक्सेशन बार एसोसियेशन, मुरादाबाद ।
200---सर्वश्री कुंदन लाल बिहारी लाल, बैंकर्स ऐंड कमीशन एजेंट, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद।
201---श्री एस0कुमार, मंत्री, किराना रिटेलर्स एसो0मुरादाबाद ।
202---श्री प्रताप कृष्ण कपूर, प्रेसीडेंट, मुरादाबाद मशीनरी डीलर्स एसो0, स्टेशन रोड, मुरादाबाद ।
203---श्री हरी कृष्ण रस्तोगी, 41 मेनगली, मुरादाबाद ।
204---श्री सत्य प्रकाश रस्तोगी, प्रधान, सम्भल कच्चा आढ़ती संघ, सम्भल, मुरादाबाद ।
205---श्री योगेंद्र, मंत्री, एसोसियेटेड चैम्बर आफ ब्रासवेयर डीलर्स, चौराहा गली, मुरादाबाद ।
206---श्री आर0एन0 अग्रवाल, मेम्बर, गवर्निंग बाडी, आल इंडिया बोन मिलर्स एसोसियेशन गुरट्टी का चौराहा, मुरादाबाद ।
207---श्री एस0के0 रस्तोगी, किराना मर्चेंट्स एसो0, मुरादाबाद ।
208---श्री सत्येंद्र कुमार रस्तोगी, किराना मर्चेन्ट्स एसो0, मुरादाबाद ।
209---श्री रामअवतार, मंत्री, खाद्य व्यापार मंडल (रजि0), कटरा नाज, मुरादाबाद ।
210---श्री इशरत अली खां, प्रधान, शू मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, मुरादाबाद ।
211---श्री वीरेंद्र महेश्वरी, मंत्री, महेश्वरी सभा (रजि0), अमरोहा, मुरादाबाद ।
212---श्री पी0के0 कपूर, मुरादाबाद मशीनरी डीलर्स एसोसियेशन, स्टेशन रोड, मुरादाबाद ।
213---श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंत्री, सर्राफा कमेटी, मुरादाबाद।
214---श्री धर्म प्रकाश अग्रवाल, फर्म अग्रवाल ट्रेड कारपोरेशन, बिजली के सामान के विक्रेता, मुरादाबाद ।
215---श्री एन0 सी0 गोयल, प्रेसीडेंट, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, मुजफ्फरनगर ।
216---श्री तोकीर इलाही, मेसर्ज सावरी एन्ड बोन मेन्योर मैन्यूफैक्चर्स, खालापार, मुजफ्फरनगर।
217---श्री एस0 सी0 मित्तल, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीयल स्टेट एसोसिएशन (रजि0) 12-ए, इंडस्ट्रीयल स्टेट, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर ।
218---श्री एन0 सी0 गोयल, दि गुड़, खंडसारी ऐंड ग्रेन मर्चेन्टस एसोसिएशन (रजि0), 71-13, नई मंडी, मुजफ्फरनगर ।

219---श्री गंगा प्रसाद (महामंत्री), कच्चा आढ़ती संघ, मैनपुरी ।

220---श्री ए0पी0 गर्ग, अध्यक्ष, दि रुड़की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (रजि0), डी-1. इंडस्ट्रीयल स्टेट, रुड़की ।

221---श्री रामदयाल अग्रवाल, सदस्य, नगर पालिका, चौक, रुड़की ।

222---श्री रामप्रसाद, संयोजक, चेम्बर आफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज, रामपुर ।

223---श्री एस0के0शर्मा, डाइरेक्टर, व्यापार संदेश, पी0बी0 नं0 121, 26/104, बिरहाना रोड, रामपुर ।

224---श्री शादीलाल दुबे, संयोजक, जिला जनता पार्टी, ललितपुर ।

225---श्री गुरू शरणलाल, मंत्री, कपड़ा कमेटी, लखीमपुर खीरी ।

226---श्री आर0पी0 रस्तोगी, सेक्रेटरी, यू0पी0 एक्सरसाइज बुक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, 18-अमीनाबाद पार्क, लखनऊ ।

227---श्री राम कृष्ण शुक्ला, स्थायी मंत्री, जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश, लाजपतराय भवन, 6- केसरबाग, लखनऊ ।

228---श्री यू0एस0ओबराय, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जे0के0इंडस्ट्रीज लि0, 28 पार्करोड, लखनऊ ।

229---श्री एल0बी0 वार्ष्णेय, एडवोकेट, सह संयोजक, जनता पार्टी, मध्य क्षेत्र, 85-ऐशबाग, आई0टी0 कालोनी, लखनऊ ।

230---श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खाद्यपदार्थ व्यापारी संघ, गनेश गंज, लखनऊ ।

231---अवध चैम्बर आफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज, हलवासिया कोर्ट, हजरतगंज, लखनऊ ।

232---श्री जगत बिहारी लाल गुप्ता, महामंत्री, उत्तर प्रदेश मर्चेन्ट्स फेडरेशन (रजि0), कमला मार्केट, अमीनाबाद, लखनऊ ।

233---श्री शिव मंगल प्रसाद मिश्र (दुखिया) 96/204 गणेशगंज, लखनऊ ।

234---श्री महेश चन्द्र, थोक विक्रेता, केश स्टोर यहिया गंज, लखनऊ ।

235---श्री एन0के0 भार्गव, सेक्रेटरी-कम-ट्रेजरार, यू0 पी0 मोटर इंडस्ट्रीज एसो0 मोटर साइकिल हाउस, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ ।

236--श्री एम0जी0 गुप्ता, उपाध्यक्ष, यू0पी0 पैकिंग वुड डीलर्स फैडरेशन, अपोजिट ऐशबाग रोड, लखनऊ ।

237---श्री राम कृपाल शर्मा, मंत्री, उत्तर प्रदेशीय हलवाई संघ, 44 श्रीराम रोड, लखनऊ ।

238---श्री कैलाश नाथ केसरवानी, महामंत्री, उत्तर प्रदेश सर्राफा एसो0 (रजि0), 26/9 गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ ।

239---श्री बिपिनकुमार मिश्र, 58 विधायक निवास, रायल होटल, लखनऊ ।

240---श्री जेठा नन्द स्वामी, मोना इंजीनियरिंग वर्क्स, 604, सदर बाजार, लखनऊ ।

241---श्री डी0एम0गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसो0, 185 ऐशबाग, लखनऊ ।

242—श्री मुकुट बिहारी अग्रवाल, लखनऊ प्लास्टिक रबड़ फुटवियर एसो0, प्रकाश मार्केट, यहियागंज, लखनऊ ।

243--आनरेरी सेक्रेटरी, हास्पिटल इक्यूपमेंट ट्रेड एसो0, द्वारा राजेंद्र ब्रदर्स, पो0 आ0 बाक्स 74, लखनऊ ।

244--डा0 एम0ए0लारी, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0 फार्मेस्यूटिकल्स मैन्यु0, द्वारा लेबरास केमीकल्स, सीतापुर रोड, लखनऊ ।

245---श्री उमा शंकर शर्मा, आदर्श भोजनालय, श्रीराम रोड, लखनऊ ।

246---श्री के0जी0मीरचन्दानी, लखनऊ रेडियो मर्चेन्टस एसोसिएशन, द्वारा वायरलेस हाउस, लालबाग, लखनऊ ।

247--श्री कृष्ण जीवन रस्तोगी, पार्टनर, रीव्स इंडिया कलर कम्पनी, भवना सिंह शिवाला रोड, राजाबाजार, लखनऊ ।

248---श्री रामकृष्ण रस्तोगी, लखनऊ प्लास्टिक व रबर फुटवेयर एसो0, लखनऊ ।

249---श्री एम0 बी0 भार्गव, भार्गव ऐंड कम्पनी, (चार्टर्ड-एकाउन्टेंट) पो0 बाक्स नम्बर 229, हजरतगंज, लखनऊ ।

250---श्री सुभाष छावड़ा अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति, लखनऊ ।

251---श्री पी0 एस0 वर्मा एच0 जे0 एस0, जज रिवीजन, सेल्स टैक्स, 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ ।

252---श्री विनोद सचदेवा, अल्फा शू कम्पनी, 6, अमीनाबाद, लखनऊ ।

253---श्री नरेंद्र मोहन सक्सेना, 42/1 बालदा कालोनी, निशातगंज, लखनऊ ।

254---श्री टी0 आर0 अग्रवाल, अध्यक्ष, लखनऊ ब्रिक-किलन ओनर्स यूनियन, 66, गौतम बुद्धमार्ग, लखनऊ ।

255---सर्वश्री नारायन आटोमोबाइल्स, 4 शाहनजफ रोड, लखनऊ ।

256---श्री मोहन लाल, श्री कीमत राम भवन, 152/56 रस्सी बटान, मौलवीगंज, लखनऊ ।

257---श्री सुरेन्द्र कुमार राय, महामंत्री, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता संघ, 5-शिवाजी मार्ग, लखनऊ ।

258---दि उत्तर प्रदेश होटल एन्ड रेस्टोरेंट एसोसियेशन, सेन्ट्रल होटल, अमीनाबाद, लखनऊ ।

259---श्री के0 एम0 अग्रवाल, चेयरमैन, अवध चैम्बर आफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्रीज, हलवासिया कोर्ट, हजरतगंज, लखनऊ ।

260---श्री रामलखन शुक्ला, स्थाई मंत्री, जनता पार्टी, उत्तर-प्रदेश, लाजपतराय भवन, 6-केसरबाग, लखनऊ ।

261---श्री अमरनाथ यादव, मंत्री, अखिल भारतीय ऊनकाती व्यापार मंडल, पो0 भदोही, जिला वाराणसी ।

262---श्री विष्णु लाल गुप्ता, 5/12-ए, वाराणसी ।

263---श्री जगदीश अरोरा, महामंत्री, यू0 पी0 व्यापार प्रतिनिधि मंडल, आर्य-समाज भवन, वाराणसी ।

264---श्री श्याम सुन्दर कोठारी, पार्टनर, कोठारी जनरल स्टोर, सराय हड़हा, वाराणसी ।

265---श्री किशन लाल शर्मा, सभापति, यू0 पी0 वेस्ट पेपर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, बसंती कटरा, लखी चौतरा, वाराणसी ।

266---श्री श्याम मोहन अग्रवाल, मंत्री, काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल, बांस फाटक, वाराणसी ।

267---श्री राम गोपाल कपूर, अध्यक्ष, श्री रेशमी तागा संघ (रजि0), 13/56 पशुपतेश्वर, वाराणसी ।

268---प्रधान मंत्री, काशी खाद्य व्यापार मंडल, विश्वेश्वर गंज, वाराणसी ।

269---श्री अब्दुल हमीद जैदी, प्रान्तीय काष्ठ एवं वन व्यवसाय परिषद्, उ0 प्र0, नक्खास, वाराणसी ।

270---श्री विश्वनाथ वशिष्ठ, अध्यक्ष, बनारसी वस्त्र उद्योग संघ, सी0 के0, 58/43 रेशम कटरा, वाराणसी ।

271---श्री याकूब, कबाड़ी ऐसो0, न्यू कबाड़ी मार्केट, सहारनपुर ।

272---श्री राम दयाल अग्रवाल, स्पेशल नमकीन वाले, चौक बाजार, रुड़की, सहारनपुर ।

273---श्री जनरल मर्चेन्ट एसो0, हापुड़ ।

274---श्री कान्ती चन्द्र जैन, सेक्रेटरी, दि हाथरस मर्चेन्ट्स एसो0, मुरसान गेट, क्लाक टावर, हाथरस ।

परिशिष्ट—3

समिति के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक साक्ष्य देने वाले व्यापार संघों/व्यक्तियों की सूची

दिनांक 27 सितम्बर, 1977

1-- सर्वश्री मेरठ निवाड़ निर्माता संघ, मेरठ।
2-- सर्वश्री सूत व्यापार मंडल, मेरठ।
3-- सर्वश्री उ0 प्र0 खुदरा जूता व्यापार महासंघ, लखनऊ।
4 -- सर्वश्री यू0 पी0 ऑयल मिलर्स एसोसियेशन, कानपुर।
5 -- सर्वश्री उ0 प्र0 गुड़, खांडसारी एण्ड ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (रजि0), मुजफ्फरनगर।
6 -- सर्वश्री जनरल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, हापुड़, मेरठ।
7-- सर्वश्री यू0 पी0 मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, लखनऊ।
8-- सर्वश्री किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, कानपुर।
9 -- सर्वश्री प्रकाश साइकिल, लखनऊ।
10-- सर्वश्री मोटर डीलर्स एसोसियेशन, लखनऊ।
11-- सर्वश्री लखनऊ टिम्बर एसोसियेशन, लखनऊ।
12-- सर्वश्री स्टील वायर एसोसियेशन, कानपुर।

दिनांक 31 अक्टूबर 1977

1-- सर्वश्री मुरादाबाद मशीनरी डीलर्स एसोसियेशन, मुरादाबाद।
2-- सर्वश्री उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता संघ (रजि0), लखनऊ।

दिनांक 1 नवम्बर, 1977

1-- सर्वश्री यू0 पी0 कोल मर्चेन्टस एसोसियेशन, लखनऊ।
2-- सर्वश्री मिनरल सेल्स कारपोरेशन, मुरादाबाद।

दिनांक 16 नवम्बर 1977

1-- सर्वश्री उ0 प्र0 ईंट निर्माता संघ (रजि0), लखनऊ।
2-- सर्वश्री कानपुर स्कूटर एन्ड मोटर साइकिल डीलर्स एसोसियेशन, कानपुर।
3-- सर्वश्री यू0 पी0 सेल्स टैक्स बार एसोसियेशन, कानपुर।
4-- सर्वश्री हिन्दू मुस्लिम कनफैक्शनर्स एसोसियेशन, लखनऊ।
5-- सर्वश्री मेरठ ऑयल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, मेरठ।
6--सर्वश्री यू0 पी0 ऑयल मिलर्स एसोसियेशन, कानपुर।
7-- सर्वश्री आगरा लघु तेल उद्योग संघ, आगरा।
8-- सर्वश्री उ0 प्र0 गुड़, खांडसारी एण्ड ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (रजि0), मुजफ्फरनगर।
9-- सर्वश्री रोबस इंडिया कलर कम्पनी, लखनऊ।
10-- सर्वश्री यू0 पी0 सर्राफा एसोसियेशन, लखनऊ।
11-- सर्वश्री यू0 पी0 वाच मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, कानपुर।

पी0 एस0 यू0 पी0 -ए0 पी0 151 सा0 वित्त--- 19-1-78-(3123)-1978-(प्रो)।
1,200 (प्रो0)।